सी आई एन क्र: L66000MH1919GOI000526
आई आर डी ए पंजीकरण क्र: 190

दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड

भारत सरकार का उपक्रम

पंजीकृत एवं मुख्य कार्यालय: न्यू इन्डिया एश्योरन्स, 87, महात्मा गांधी मार्ग, फ़ोर्ट, मुंबई - 400001
www.newindia.co.in

300 प्रशासनिक अधिकारियों (जनरलिस्ट) (श्रेणी - 1) की भर्ती

संदर्भ: कार्पो:एचआरएम/प्र.अ./2021 24 अगस्त 2021

दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड, सार्वजनिक क्षेत्र में अग्रणी साधारण बीमा कंपनी, 300 (जनरलिस्ट) श्रेणी - 1 संवर्ग में प्रशासनिक अधिकारियों की भर्ती हेतु ओपन मार्केट से आवेदन आमंत्रित करती है.

क्षेत्र	कुल	अ.जा	अ.ज.जा.	अ.पि.व	ईडबल्यूएस	यूआर	पी.डब्ल्यू.बी.डी			
							एचआई	वीआई	ओसी	आई डी / बहु
जनरलिस्ट	**300**	46	22	81	30	121	4	3	3	7

यूआर-अनारक्षित, अ.जा.-अनुसूचित जाति, अ.ज.जा.-अनुसूचित जनजाति, अ.पि.व.-अन्य पिछडा वर्ग, **ईडबल्यूएस**: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पी.डब्ल्यू.बी.डी.- बेंचमार्क दिव्यांगजन, एचआई - बधिर व कम सुनने वाले, वीआई - क्षीण दृष्टि, ओसी - अस्थिरूप से विकलांगता, आई डी - बौद्धिक अशक्तता, बहु - बहु दिव्यांगता

उपर्युक्त रिक्तियां अस्थायी हैं और समयानुसार कंपनी की वास्तविक आवश्यकतानुसार परिवर्तित हो सकती है.
*अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी से संबंधित परंतु "क्रीमीलेयर" के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार अन्य पिछडा वर्ग आरक्षण और आयु छूट के पात्र नहीं होंगे. वे अपनी श्रेणी ‘सामान्य’ दर्शाएं.
परिणामों को अंतिम रूप देते समय विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत आरक्षण, प्रचलित सरकारी दिशानिर्देश के अनुसार होगा.

- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भर्ती में आरक्षण, भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के संशोधन अधिसूचना संख्या 36039/1/2019 दिनांक 31.01.2019, के अधीन है
  नोट: “ईडबल्यूएस की रिक्तियाँ प्रयोगात्मक है तथा भारत सरकार के आदेश एवं अभियोग के परिणाम पे आधारित है. यह नियुक्ति अस्थायी है तथा आय और संपत्ति के प्रमाणपत्र के उचित चेनेल से सत्यापन पे निर्भर है.

राष्ट्रीयता :

कंपनी में भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को :-
(ए) भारत का नागरिक, या (बी) नेपाल का नागरिक, या (सी) भूटान का नागरिक, या (डी) तिब्बत का शरणार्थी जो 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत में आए और स्थायी रुप से यहीं बस गए, या (ई) भारतीय मूल के व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्व अफ्रीका के कीन्या, युगांडा, युनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जांबिया, मालवई, जायरे, इथोपिया और वियतनाम देशों से स्थानान्तरित होकर स्थायी रुप से भारत में बस गए हैं.

बशर्ते, उम्मीदवार जो कि उपर्युक्त (बी), (सी), (डी) और (ई) की श्रेणियों से संबंध रखता है और जिनके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया गया है.

कृपया महत्वपूर्ण तारीखें नोट करें :-

ऑन लाईन पंजीकरण एवम आवेदन शुल्क का भुगतान.	1 से 21 Sept. 2021 (दोनों तिथियाँ शामिल)
ऑन लाईन परीक्षा का प्रथम चरण	अक्टूबर 2021
ऑन लाईन परीक्षा का द्वितीय चरण वस्तुनिष्ठ + वर्णनात्मक	नवम्बर 2021

उम्मीदवार केवल ऑन लाईन प्रणाली द्वारा ही आवेदन करें. किसी अन्य प्रणाली से किया गया आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा. कृपया नियमित अध्यतन हेतु कंपनी वेबसाइट www.newindia.co.in के Recruitment खंड को देखें

कृपया नोट करें कि उक्त पद हेतु आवेदन करने की मूल कसौटी यहां उल्लिखित पात्रता है. साक्षात्कार के समय उम्मीदवार को आवश्यक रुप से संबंधित मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे और इसके साथ ही अपनी पहचान से संबंधित स्वयं सत्यापित प्रतिलिपि और श्रेणी, राष्ट्रीयता, आयु, शैक्षणिक योग्यताओं आदि से संबंधित पात्रता के दस्तावेज़, जैसा कि ऑनलाईन आवेदन प्रारुप में दर्शाया है, प्रस्तुत करने होंगे. कृपया नोट करें कि ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् किसी भी स्तर पर आवेदन में दी गयी जानकारी में बदलाव की अनुमति नहीं होगी. पद हेतु आवेदन करने और लिखित परीक्षा और / या बाद में साक्षात्कार और / या बाद की प्रक्रिया में चयनित होने का यह अर्थ न लिया जाए कि उम्मीदवार को कंपनी द्वारा आवश्यक रुप से नियुक्त किया जाएगा. आवेदन की गई श्रेणी के अतिरिक्त किसी भी अन्य श्रेणी में उम्मीदवारी पर विचार करने के निवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा.

1. सेवा शर्तें :-

समय-समय पर प्रचलित कंपनी के नियमों के अनुसार सेवा शर्तें लागू होंगी. कंपनी द्वारा चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति या स्थानांतरण कंपनी के निर्णय पर आवयशकता के अनुसार भारत में किसी भी स्थान पर किया जा सकता है**. प्रथम नियुक्ति के स्थान पर कार्यकाल न्यूनतम पाँच वर्षों का होगा.**

2. परिवीक्षा (प्रोबेशन) :-

कंपनी के नियमित पे-रोल में अधिकारी संवर्ग में नियुक्त उम्मीदवार सेवारंभ तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होगा. परिवीक्षा की अवधि दो बार (एक बार में छः माह) बढाई जा सकती है. बढ़ी हुई परिवीक्षा की अवधि एक वर्ष तक हो सकती है.

परिवीक्षा अवधि के दौरान अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे भारतीय बीमा संस्थान द्वारा आयोजित गैर जीवन 'लाईसेंसशिएट परीक्षा', उत्तीर्ण करें. यह परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ही अधिकारी कंपनी की सेवाओं में स्थायी होने का पात्र होगा. बढी हुई परिवीक्षा अवधि में भी उपर्युक्त परीक्षा उत्तीर्ण न कर पाने की स्थिति में अधिकारी को निर्धारित समय-सीमा की समाप्ति पर सेवाओं से निकाला जा सकता है.

परिवीक्षा अवधि या बढी हुई इस अवधि के दौरान यदि किसी उम्मीदवार को किसी भी समय अयोग्य पाया जाता है तो एतदद्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के या कारण न बताते हुए भी उम्मीदवार की सेवाएं समाप्त कर देने का अधिकार कंपनी के पास सुरक्षित रहेगा.

3. गारंटी बॉण्ड:-

परिवीक्षा के तौर पर सेवारंभ करने से पहले चयनित उम्मीदवारों को प्रतिज्ञापत्र देना आवश्यक होगा कि वह, परिवीक्षा अवधि सहित, कम से कम चार वर्षों तक कंपनी की सेवा में रहेंगे. यदि बॉण्ड अवधि समाप्त होने से पहले कंपनी से त्यागपत्र दिया जाता है तो वह कर्मचारी परिवीक्षा अवधि के दौरान एक वर्ष में प्रदत्त सकल वेतन जितनी राशि का भुगतान परिसमापन क्षति के तौर पर भरने के लिए उत्तरदायी होगा. यह राशि प्रदान की गई सेवा की अवधि पर निर्भर करती है और अनुपातिक तौर पर कम भी की जा सकती है. इसके अतिरिक्त उम्मीदवार को एक वर्ष के सकल वेतन जितनी राशि का मुद्रांकित बॉण्ड आर्थिक रुप से संपन्न दो जमानती (रक्त संबंधियों को छोड़कर) द्वारा विधिवत निष्पादित करवाकर प्रस्तुत करना होगा.

परिवीक्षा अवधि के दौरान कंपनी से पद त्याग करने वाला उम्मीदवार और परिवीक्षा अवधि के दौरान कंपनी की सेवाओं से निलंबित किए गए उम्मीदवार, कंपनी में सेवा के दौरान प्राप्त वेतन की पूरी राशि के साथ-साथ प्रशिक्षण की आंशिक लागत के रुप में रु. 25,000/- की राशि का भी भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा.

वर्तमान नियोजक के साथ वास्तविक पद को बनाए रखने के लिए निष्पादित कोई भी ग्रहणाधिकार/अनुबंध पत्र कंपनी के लिए बाध्यकारी नहीं होगा और छुट्टी संबंधी वेतन या पेंशन अंशदान भी नहीं दिया जाएगा.

4. पारिश्रमिक और लाभ :-

मूल वेतन रु.32,795/- के वेतनमान में रु. 32795-1610(14)-55335-1745(4)- 62,315 और अन्य लागू देय भत्ते. महानगरीय केन्द्रों में कुल लाभ प्रतिमाह रु. 60,000/- लगभग होगा. अन्य लाभ होंगे जैसे कि पेंशन, पी एफ आर डी ए द्वारा संचालित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत होगी, उपदान, एल टी एस, मेडीकल लाभ, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा इत्यादि. अधिकारी कंपनी के नियमों के अनुसार कंपनी के /पट्टे पर आवास की सुविधा पाने के हकदार होंगे. अगस्त, 2017 से वेतनमान संशोधन के लिए प्रस्तावित है.

5. शैक्षणिक अर्हताएं (30.09.2021 तक) :-

सामान्य वर्ग उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त या उसके समकक्ष किसी भी क्षेत्र से स्नातक/ स्नातकोत्तर कम से कम 60% अंकों सहित (स्नातक/ स्नातकोत्तर में से किसी भी एक में) तथा अ.जा./अ.ज.जा./पीडब्ल्यूबीडी के लिए 55% अंकों सहित की शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए. उम्मीदवार के पास 30.09.2021 पर क्वालिफ़ाईंग परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण होना आवश्य है.

टिप्पणी :

- शैक्षणिक योग्यता भारत सरकार के मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संगठन/बोर्ड से होनी चाहिए जो सरकारी विनियामक संस्था द्वारा अनुमोदित हो तथा जिसका परिणाम 30.09.2021. को या उससे पहले घोषित हुआ हो.
- साक्षात्कार के समय 30.09.2021. को या उससे पहले बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा घोषित परिणाम के उचित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे.
- 30.09.2021. को उम्मीदवार के पास आवश्यक शैक्षणिक अर्हता की वैद्य अंकसूची/डिग्री प्रमाणपत्र होना चाहिए.
- अंकों का प्रतिशत उम्मीदवार द्वारा सभी समेस्टर (रों) वर्ष (र्षो) में सभी विषयों में प्राप्त कुल अंकों में से सभी विषयों के सकल अधिकतम अंकों में से निकाला जाएगा जोकि ऑनर्स/वैकल्पिक/अतिरिक्त वैकल्पिक विषय को ध्यान में रखे बिना होगा. यह केवल उन विश्वविद्यालयों के लिए लागू होगा जिनमें श्रेणी /ग्रेड का निर्णय ऑनर्स के अंकों के आधार पर किया जाता है. ऐसे प्राप्त प्रतिशत के अपूर्णांक (फ्रैक्शन) पर ध्यान नहीं दिया जाएगा जैसे कि 59.99% को 60% से कम माना जाएगा.
- जहां सीजीपीए/ओजीपीए दिए गए हैं, वहां उम्मीदवारों को उचित प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे. अन्य बातों के साथ-साथ यह भी स्पष्ट करना होगा कि विश्वविद्यालय द्वारा ग्रेड को प्रतिशत में बदलने के संबंध में क्या प्रणाली अपनाई गई है और शर्तों के अनुसार उम्मीदवार ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए है.

6. आयु (01.04.2021 को)

न्यूनतम आयु : 21 वर्ष. **अधिकतम आयु :** 30 वर्ष, **01.04.2021** तक

अर्थात् उम्मीदवार का जन्म 2 April,1991 के पहले और 1 April, 2000 के पश्चात् (दोनों तारीखें समाहित) नहीं होना चाहिए.

ऊपरी आयु सीमा के लिए छूट निम्नानुसार होगी :-

क्र.	श्रेणी	आयु छूट
1.	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति	5 वर्ष
2.	अन्य पिछडे वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर)	3 वर्ष
3.	बेंचमार्क दिव्यांगजन, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार	10 वर्ष
4.	भूतपूर्व सैनिक, कमिशन्ड अधिकारी सहित ईसीओ (एसएससीओज) जिन्होंने **01.04.2021** को सैनिक सेवा में कम से कम पांच वर्ष की सेवा प्रदान की है और नियत कार्य के पूर्ण होने पर उन्हें कार्यमुक्त किया गया हो (वे भी शामिल हैं जिनका कार्यकाल **01.04.2021** से एक वर्ष की अवधि में पूरी हो) अन्यथा उन्हें बरखास्तगी या कदाचार के कारण या अक्षमता के कारण सेवामुक्त या (बी) सैन्य सेवाओं के दौरान शरीरिक अशक्तता पाया गया हो या	5 वर्ष

	(सी) असमर्थता. वे ईसीओ/एसएससीओ जिन्होंने **01.04.2021** को सैन्य सेवा में प्रदत्त प्रारंभिक 5 वर्षों की अवधि पूरी की हैं और जिनका कार्यकाल पांच वर्षों के पार बढाया गया हो और जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय ने प्रमाणपत्र जारी किया हो कि वे असैनिक रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं और उन्हें चयन के बाद नियुक्ति पत्र प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने की सूचना के बाद कार्यमुक्त किया जा सकेगा.	
5.	मोर्चाबंदी सेवाओं हेतु तैनात कार्मिक जो कि विदेशी शत्रुता की मोर्चेबंदी या उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में कार्य के समय विकलांग हुए और जिसके परिणामस्वरूप उन्हें कार्यमुक्त कर दिया गया हो.	3 वर्ष
6.	सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों के वर्तमान स्थायी कर्मचारी (इसमें भारतीय साधारण बीमा निगम और भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड शामिल है)	8 वर्ष

टिप्पणी :-

- यदि कोई उम्मीदवार उपर्युक्त में से किन्हीं एक श्रेणी से अधिक श्रेणियों के अंतर्गत छूट पाने का हकदार है तब यह छूट संयुक्त आधार पर दी जाएगी (अधिकतम 45 वर्ष के अधीन) जो की सरकार के दिशानिर्देशों और कंपनी के नियमों के आधार पर होगा.
- उम्मीदवारों को जिन्हें आयु सीमा में छूट चाहिए उन्हें आवश्यक प्रमाणपत्र की प्रतिलिपियां प्रस्तुत करनी होंगी और साक्षात्कार के समय तथा/या पश्चात की भर्ती प्रक्रिया के दौरान मूल प्रमाणपत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने होंगे.
- वह व्यक्ति जो कि अशक्तता के आधार पर आयु में छूट का हकदार है और वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी का स्थाई कर्मचारी है (भारतीय बीमा निगम और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लि. भी शामिल), तो उसे छूट या तो 'अशक्तता सहित व्यक्ति' के आधार पर देय होगी या फिर 'सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनी (भारतीय बीमा निगम और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी आफ इंडिया शामिल) के वर्तमान स्थाई कर्मचारी' के आधार पर होगा. इसमें से जो भी उसके लिए लाभदायक होगा.
- भूतपूर्व सैनिकों के संबंध में जिन्होंने पुन: नौकरी हेतु पूर्व सेवाओं का लाभ लेने के पश्चात सिविल क्षेत्र में सरकारी नौकरी कर ली है उनके लिए सरकारी कार्यालय में पुन: नौकरी करने हेतु पूर्व सेवाओं के लाभ को प्राप्त करने की स्थिति समाप्त हो जाएगी. मगर उन्हें भूतपूर्व सैनिकों को मिलने वाली आयु में छूट का लाभ दिया जाएगा.
- भूतपूर्व सैनिक जो शासकीय सेवाएँ आरम्भ करने से पहले एक से अधिक रिक्तियों हेतु आवेदन करता है तत्पश्चात किसी भी रोजगार या नौकरी के लिए आरक्षण का लाभ ले सकता है. तथापि भूतपूर्व सैनिक, जैसे ही वो कोई शासकीय सेवा आरम्भ करता है तो उसे संबंधित नियोक्ता को स्व-घोषणा पत्र देना होगा जिसमें उसने प्रारंभ की शासकीय सेवा आरम्भ करने के पहले विभिन्न रिक्तियों हेतु किए गए आवेदनों का तिथिवार विवरण देना होगा. इसके साथ ही यह लाभ केवल उन रिक्तियों के मामले में प्राप्त होगा जो कि प्रत्यक्ष भर्ती के आधार पर भरी जाएंगी और जहां कहीं भी भूतपूर्व सेवारत व्यक्तियों को आरक्षण लागू होगा.
- अधिकारी श्रेणी मे पूर्व सेवारत व्यक्तियों के लिए आरक्षण नहीं है.

7. परिभाषाएं :-

क) भूतपूर्व सैनिक (ईएक्सएसएम):- केवल उन्हीं उम्मीदवारों को भूतपूर्व सैनिक माना जाएगा जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के कार्मिक और प्रशासनिक संशोधन अधिसूचना संख्या 36034/5/85 स्था(एससीटी) दिनांक 27.01.1986, समय-समय पर संशोधित, में उल्लिखित संशोधित परिभाषा को पूर्ण करते हैं.

ख) अशक्तता सहित भूतपूर्व सैनिक (डीआईएसएक्सएस) :- भूतपूर्व सैनिक जो सैन्यबल में दुश्मनों के विरुध्द लड़ते हुए या उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में कार्य करते हुए विकलांग हुए उन्हें ही अशक्तता सहित भूतपूर्व सैनिक समझा जाएगा.

ग) बेंचमार्क दिव्यांगजनों की परिभाषा:- "दि राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीस अधिनियम 2016" (दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016) के धारा 34 के तहत केवल बेंचमार्क अशक्त व्यक्ति ही आरक्षण के पात्र होंगे। तदानुसार निम्न अशक्त उम्मीदवार आरक्षण के पात्र हैं :-

a) क्षीणदृष्टि (दृष्टिहीन और कम दिखना)
b) सुनने में क्षीणता (बधिर व कम सुनने वाले)
c) लोकोमोटर अशक्तता (लोकोमोटर अशक्तता जिसमें सेरेब्रलपालसी शामिल है, कुष्ठ रोग से ठीक हुआ व्यक्ति, बौनापन, तेजाब हमले से पीड़ित, मांसपेशीय दुर्विकास।)
d) स्वलीनता (औटिज्म), बौद्धिक अशक्तता, विशिष्ट शिक्षण आशक्तता, मानसिक रोग.

e) (a) से (d) के अंतर्गत शर्तो के आधार पर अनेक प्रकार से दिव्यांग व्यक्तियों जिसमें कर्णबधिर -दृष्टिहीनता -प्रत्येक विकलांगताओं के लिए पहचाना गया पद।

टिप्पणी: उपरोक्त दर्शाई गई निर्दिष्ट अशक्तता परिभाषा “दि राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीस अधिनियम 2016” (दिव्यांग अधिकार अधिनियम, 2016)के अध्याधीन होगा.

प्रशासनिक अधिकारी का पद निम्नलिख्त विकलांगता श्रेणियों के लिए उपयुक्त पायी गयी हैं. तदानुसर पी.डब्ल्यू.बी.डी उम्मीदवार जोंकी निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं, केवल वहीं आवेदन के पात्र होंगे:

a) दृष्टिहीन और कम दिखना

b) बधिर व कम सुनने वाले

c) लोकोमोटर अशक्तता (एक बांह, एक टांग, एक बांह तथा एक टांग, दोनों टांगें) जिसमें सेरेब्रलपालसी शामिल है, कुष्ठ रोग से ठीक हुआ व्यक्ति, बौनापन, तेजाब हमले से पीड़ित, मांसपेशीय दुर्विकास।)

d) विशिष्ट शिक्षण आशक्तता तथा मानसिक रोग

e) a) से (d) के अंतर्गत शर्तो के आधार पर अनेक प्रकार से विकलांगताएं

ऐसे लाभों का दावा करने वाले उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा.

स्क्राईब का प्रयोग कर रहे दिव्यांगजनों के लिए दिशा निर्देश:-

क्षीण दृष्टि वाले उम्मीद्वार और वे उम्मीद्वार जिनके लिखने की गति किसी भी कारण से स्थायी रूप में प्रतिकूल रुप से प्रभावित है अपना स्वयं का स्क्राईब स्वयं के खर्चे पर ऑनलाईन परीक्षा के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे सभी मामले जहां स्क्राईब का प्रयोग किया जा रहा है वहां निम्न नियम लागू होंगे:-

1. उम्मीद्वार को स्वयं के खर्च पर स्वयं का स्क्राईब की व्यवस्था करनी होगी.
2. स्क्राइब की शैक्षणिक योग्यता, उम्मीदवार के शैक्षणिक योग्यता से एक स्तर कम होनी चाहिए.
3. जनरलिस्ट क्षेतरा के लिए, स्क्राईब किसी भी शैक्षणिक स्ट्रीम से हो सकता है. स्पेशलिस्ट क्षेत्र के लिए स्क्राइब और उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता अलग अलग क्षेत्रों की होनी चाहिए.
4. दोनों, उम्मीद्वार तथा स्क्राईब को एक उचित आश्वासन देना होगा जिसमें इस बात की पुष्टि की जानी चाहिए कि स्क्राईब उपर्युक्त निर्धारित सभी पात्रताओं को पूर्ण करता है. यदि बाद में यह पाया गया कि उसने निर्धारित पात्रता को पूर्ण नहीं किया या तथ्यों को छिपाया है तो आवेदक की उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी चाहे ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम जो भी हो.
5. वे उम्मीद्वार जो स्क्राईब का प्रयोग कर रहे हैं वे परीक्षा के प्रति घण्टे के लिए बीस मिनट प्रतिपूरक समय या अन्यथा जैसी सलाह दी गई हो, पाने के पात्र होंगे.
6. एक उम्मीदवार के लिए स्क्राईब का कार्य करने वाला व्यक्ति दूसरे उम्मीद्वार के लिए स्क्राईब नहीं बन सकता.
7. उम्मीद्वार द्वारा लिया गया स्क्राईब उसी परीक्षा का एक उम्मीद्वार नहीं होना चाहिए। यदि भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण पर उपर्युक्त बातों का उल्लंघन करते हुए उन्हें पाया जाता है तो दोनों उम्मीदवार एवं स्क्राईब की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी. पात्र उम्मीदवार और वे उम्मीद्वार जो परीक्षा में सक्राईब की सेवाओं का प्रयोग करना चाहते हैं उन्हें निरपवाद रूप से सावधानीपूर्वक अपने आवेदन प्रारुप में इस बात का उल्लेख करना होगा. बाद में किए गए किसी भी प्रकार के निवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा.
8. स्क्राइब इस चयन प्रक्रिया का उम्मीदवार नहीं हो सकता है. अगर किसी भी चरण में ऐसा पाया जाता है कि स्क्राइब भी इसी परीक्षा में किसी दूसरे सत्र में उपस्थित हुआ है तो दोनों उम्मीद्वार एवं स्क्राईब की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी.
9. स्क्राइब न्यू इंडिया एश्योरन्स का वर्तमान कर्मचारी नहीं होना चाहिए.
10. केवल जिन उम्मीदवारों ने प्रतिपूरक समय के लिए पंजीकरण करवाया है उन्हे ही यह छूट दी जाएगी. उम्मीदवारों को दिया जाने वाला प्रतिपूरक समय प्रणाली आधार पर होगा. यदि उम्मीद्वार ने प्रतिपूरक समय के लिए पंजीकरण न किया हो तो परीक्षा संचालित एजेंसी के लिए उन्हें प्रतिपूरक समय देना संभव नहीं होगा. उम्मीद्वार प्रतिपूरक समय के लिए पंजीकरण नहीं करता है तो उन्हें यह छूट नहीं दी जाएगी.

उम्मीदवार के लिए दिशा -निर्देश

क्षीणदृष्टि वाले उम्मीदवारों के लिए दिशानिर्देश (category a) -

- क्षीणदृष्टि वाले उम्मीद्वार (न्यूनतम 40% अशक्तता) जिन्हें परीक्षा की विषयवस्तु के फोंट को देखने में असुविधा होती है उन्हें उन फोंट को बड़ा करके देखने का विकल्प दिया जा सकता है। उन सभी उम्मीदवारों को परीक्षा के प्रतिघंटे में 20 मिनट प्रतिपूरक समय, या अन्यथा जैसी सलाह दी गई हो, दिया जाएगा.
- क्षीण दृष्टि वाले उम्मीद्वार जोकि परीक्षा में स्क्राईब की सेवाओं का प्रयोग कर रहे हैं उन्हें परीक्षा में विषय वस्तु के फोंट को बडा करके देखने की सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी.

उम्मीदवार के लिए दिशा -निर्देश Category (c)

लोकोमोटर अशक्त और सेरिब्रलपालसी वाले उम्मीदवारों को जहां मुख्य रुप से लिखित कार्य इतना प्रभावित होता है कि लिखने के कार्य की गति धीमी पड़ जाती है (न्यूनतम 40% अशक्तता), ऐसे उम्मीदवारों को प्रति घंटा 20 मिनट प्रतिपूरक समय दिया जाएगा या अन्यथा जैसी सलाह दी गई हो.

उम्मीदवार के लिए दिशा -निर्देश Category (d)

40% या उससे अधिक बौद्धिक अशक्तता (identified category) से पीड़ित उम्मीदवारों को ऑनलाईन परीक्षा के दौरान, प्रति घंटा 20 मिनट प्रतिपूरक समय दिया जाएगा चाहे वे स्क्राइब का इस्तेमाल कर रहे हो या नहीं.

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग:

1. वह व्यक्ति जो कि मौजूदा आरक्षण की योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग, के अंतर्गत नहीं आते हो, तथा जिनकी पारिवारिक आय रस। 8 लाख से कम की हो, वे व्यक्ति आरक्षण के लाभ में आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी में आएंगे. यह आय सारी स्त्रोतों को मिलके ली जाएगी, जैसे कि वेतन, कृषि, व्यापार, व्यवसाय इत्यादि तथा ये आय वित्तीय वर्ष, 2020-21 के लिए मानी जाएगी. पारिवारिक आय के अलावा जिन व्यक्तियों के परिवार में ये निम्न संपत्ति होगी, वे इस आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकते हैं:

I. -कृषि भूमि 5 हेक्टेयर से ज्यादा हो

II. -घर है तो 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा हो

III. -निगम में आवासीय प्लॉट है तो 100 यार्ड से ज्यादा जमीन हो

IV. निगम में आवासीय ना हो तो प्लॉट तो 200 यार्ड से ज्यादा जमीन हो

2. अलग-अलग स्थानों या अलग-अलग जगहों/शहरों में एक "परिवार" द्वारा रखी गई संपत्ति को ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण लागू करते समय जोड़ा जाएगा।

3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण का लाभ उठाया जा सकता है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में अधिसूचित किसी एक प्राधिकारी द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र केवल ईडब्ल्यूएस से संबंधित उम्मीदवार के दावे के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा। साक्षात्कार के लिए चुने गए उम्मीदवारों को साक्षात्कार की प्रक्रिया के लिए उपस्थित होने के समय भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट अपेक्षित प्रमाण पत्र लाने की आवश्यकता होगी

4. इस उद्देश्य के लिए "परिवार" शब्द में आरक्षण का लाभ चाहने वाला व्यक्ति, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन और उसके पति या पत्नी और

18 वर्ष से कम आयु के बच्चे शामिल होंगे।

5. इस संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जाएगा।

अस्वीकरण: ईडब्ल्यूएस रिक्तियां अस्थायी हैं और भारत सरकार के आगे के निर्देशों और किसी भी अभियोग के परिणाम के अधीन हैं।

यह दिशानिर्देश मे परिवर्तन भारत सरकार के समय समय पर दिए गए दिशानिर्देशों/ स्पष्टिकरणों, (यदि कोई है) के अध्याधीन होंगे.

8. चयन प्रक्रिया

प्रथम चरण - प्रारम्भिक परीक्षा :

100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा निम्न तीन खंडों में होगी (प्रत्येक खंड के लिए पृथक अवधि)

क्र.	परीक्षा/ खंड का नाम (क्रमवार नहीं)	परीक्षा का प्रकार	अधिकतम अंक	अवधि (हर खंड के लिए)	परीक्षा का माध्यम
1.	अंग्रेजी भाषा की परीक्षा	वस्तुनिष्ठ	30	20 मिनट	अंग्रेजी
2.	तर्क ज्ञान परीक्षा	वस्तुनिष्ठ	35	20 मिनट	अंग्रेजी / हिन्दी
3.	मात्रात्मक योग्यता	वस्तुनिष्ठ	35	20 मिनट	अंग्रेजी / हिन्दी
	कुल		**100**		

ऊमीद्वार को प्रत्येक परीक्षा/ खंड में कंपनी द्वारा तय किए गए अंक लेकर परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी. प्रत्येक वर्ग में कंपनी द्वारा तय किए गए पर्याप्त संख्या में उम्मीदवारों को (उपलब्ध रिक्तियों की संख्या का लगभग 15 गुणा- उपलब्धता पर निर्भर) द्वितीय चरण- मुख्य परीक्षा हेतु अल्पसूचित किया जाएगा.

द्वितीय चरण- मुख्य परीक्षा :

मुख्य परीक्षा में वस्तुनिष्ठ परीक्षा 200 अंक तथा वर्णनात्मक 30 अंकों की होगी.

वस्तुनिष्ठ तथा वर्णात्मक परीक्षा ऑनलाइन होंगी. उम्मीदवारों को वर्णात्मक प्रश्नों का उत्तर कंप्यूटर पे टाईप करके देना होगा. वस्तुनिष्ठ परीक्षा के तुरंत बाद वर्णात्मक परीक्षा का संचालन होगा

(i) वस्तुनिष्ठ परीक्षा: वस्तुनिष्ठ परीक्षा चार खंडों में 200 अंक की 2.5 घंटे की अवधि की होगी. प्रत्येक खंड के लिए पृथक अवधि होगी.

जेन्रलिस्ट:

क्र.	परीक्षा का नाम (क्रमवार नहीं)	परीक्षा का प्रकार	कुल अंक	परीक्षा का माध्यम	प्रत्येक खंड के लिए पृथक अवधि
1.	तर्क ज्ञान परीक्षा	वस्तुनिष्ठ	50	अंग्रेजी / हिन्दी	40 min
2.	अंग्रेजी भाषा की परीक्षा	वस्तुनिष्ठ	50	अंग्रेजी	40 min
3.	सामान्य ज्ञान परीक्षा	वस्तुनिष्ठ	50	अंग्रेजी / हिन्दी	30 min
4.	मात्रात्मक योग्यता	वस्तुनिष्ठ	50	अंग्रेजी / हिन्दी	40 min
	कुल (पूर्ण योग)		**200**		

ii) वर्णात्मक परीक्षा: 30 मिनट की अवधि में 30 अंकों की अंग्रेजी भाषा में वर्णात्मक परीक्षा होगी (पत्र लेखन- 10 अंक तथा निबंध- 20 अंक). वर्णात्मक परीक्षा अंग्रेजी में होगी तथा ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जाएगी.

प्रत्येक उम्मीदवार को वर्णात्मक परीक्षा आंकलन/साक्षात्कार की शार्टलिस्टिंग हेतु वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्रत्येक खंड में निश्चित न्यूनतम या उससे अधिक अंक हासिल करने होंगे. वर्णात्मक परीक्षा आंकलन केवल उन ही उम्मीद्वारों का किया जाएगा जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्रत्येक खंड में निश्चित न्यूनतम या उससे अधिक अंक हासिल करेंगे. रिक्तियों की संख्या के आधार पर वर्णात्मक परीक्षा आंकलन के लिए कट ऑफ निर्धारित की जाएगी।

प्रत्येक उम्मीदवार को साक्षात्कार की शार्टलिस्टिंग हेतु वस्तुनिष्ठ परीक्षा (मुख्य परीक्षा) में निश्चित न्यूनतम या उससे अधिक कुल अंक (कंपनी द्वारा रिक्तियों की संख्या के आधार पर निर्धारित) प्राप्त करने होंगे तथा वर्णात्मक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी. वर्णात्मक परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 15/30 है (अ.जा./अ.ज.जा./पीडब्ल्यूबीडी के लिए 13.5 है)

उम्मीदवार को वर्णात्मक परीक्षा उत्तीर्ण करनी अनिवार्य है परंतु वर्णात्मक परीक्षा के अंक साक्षात्कार की शार्टलिस्टिंग या अंतिम चयन के लिए नहीं जोड़े जाएंगे.

गलत उत्तरों के लिए दंड- प्राथमिक और मुख्य परीक्षा दोनों पर लागू

वस्तुनिष्ठ परीक्षा में गलत उत्तर के लिए दंड का प्रावधान है. प्रत्येक प्रश्न जिसके लिए उम्मीदवार ने गलत उत्तर दिया है तो सही स्कोर/अंक प्राप्त करने के लिए उस प्रश्न हेतु दिए जाने वाले अंकों में से एक चौथाई अंकों की कटौती की जाएगी. यदि प्रश्न खाली छोड़ा गया है जैसा कि उस प्रश्न का उम्मीदवार ने उत्तर नहीं अंकित किया है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दंड नहीं होगा.

कंपनी ने परीक्षा की संरचना में संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखा है, जिसे वेबसाईट के माध्यम से सूचित किया जाएगा.

तृतीय चरण: साक्षात्कार

द्वितीय चरण के अंत में जिन उम्मीदवारों को शार्टलिस्ट किया जाएगा, उन्हें तद्नंतर कंपनी द्वारा आयोजित किए जाने वाले साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा. साक्षात्कार चुने हुए केंद्रों पर ही आयोजित किया जाएगा. ऑन लाईन परीक्षा और साक्षात्कार का वेटेज (अनुपात) क्रमश: 75:25 होगा. शॉर्टलिस्टिड उम्मीदवारों को बुलावा पत्र में साक्षात्कार के केंद्र, स्थान का पता, समय और तारीख की सूचना दी जाएगी. उम्मीदवारों के लिए आवश्यक है कि वे कंपनी की वेबसाईट से साक्षात्कार बुलावा पत्र डाउनलोड करें. कृपया नोट करें कि साक्षात्कार की तारीख, केंद्र आदि में परिवर्तन के संबंध में कोई अनुरोध स्वीकार्य नहीं होंगे. हालांकि, किसी विशेष परिस्थिति में कंपनी साक्षात्कार की तारीख/स्थल/केंद्र इत्यादि बदलने या किसी अन्य निश्चित तारीख/सत्र/स्थल/केंद्र/उम्मीदवारों के समूह का अनुपूरक प्रक्रिया द्वारा साक्षात्कार लेने के लिए स्वतंत्र हैं.

अंतिम चयन

अंतिम चयन मुख्य परीक्षा (वस्तुनिष्ठ परीक्षा) और साक्षात्कार दोनों के सकल अंकों पर आधारित होगा. उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त किए गए सकल अंकों के अवरोही आधार पर अंतिम वरीयता सूची तैयार की जाएगी. वे उम्मीदवार जो वरीयता सूची में रिक्तियों की संख्या के बीच आते हैं उनकी नियुक्ति पर विचार किया जाएगा. चयनित उम्मीदवार प्रबंधन के विवेकाधिकार के आधार पर एक से अधिक बैच हेतु नियुक्ति किए जा सकते है. चयनित उम्मीदवारों की वरिष्ठता वरीयता/चयन सूची पर आधारित होगी. प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी जोकि रिक्तियों की 50% संख्या से अधिक नहीं होगी और इनका उपयोग अंतिम वरीयता सूची से चयनित उम्मीदवारों द्वारा नौकरी के अवसर को अस्वीकार किए जाने के बाद किया जाएगा.

उम्मीदवारों को परामर्श दिया जाता है कि वे आयु और शैक्षणिक योग्यता संबंधी आवश्यकताओं को आवेदन से पूर्व पूरा कर लें. शैक्षणिक योग्यता का अंतिम परिणाम 30.09.2021 को या उससे पहले प्रकाशित हो गया होना चाहिए. यदि उम्मीदवार अयोग्य पाया जाता है तो उसकी उम्मीदवारी को

भर्ती के किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है. ऑनलाइन परीक्षा (ओं) और साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवार यह कतई न समझें कि उक्त पद के लिए उनका चयन किया जाना उनका अधिकार है.

कृपया नोट करें की उम्मीदवारों को निम्नलिखित दस्तावेजों के बिना ऑनलाइन परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

1) निर्धारित तिथि तथा परीक्षा सत्र के लिए वैध बुलावा पत्र
2) मूल फोटो - पहचान साक्ष्य (विनिर्दिष्ट अनुसार) जिसमें बुलावा पत्र / आवेदन पत्र के अनुसार वही नाम और अन्य जानकारी दर्शाई गई हो और
3) फोटो पहचान साक्ष्य की फोटो प्रति (नीचे दिये गए विवरण के अनुसार*)

***पहचान का सत्यापन:**

परीक्षा हाल तथा साक्षात्कार के समय बुलावा पत्र के साथ उम्मीदवार वर्तमान वैध फोटो पहचान की प्रतिलिपि सत्यापन हेतु पर्यवेक्षक को जैसे कि पैन कार्ड / पासपोर्ट/ ड्राइविंग लायसेंस/ वोटर कार्ड/ फोटो सहित मूल बैंक पास बुक / कार्यालय पत्र शीर्ष में राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी सत्यापित फोटो पहचान/ कार्यालय पत्र शीर्ष में जन प्रतिनिधि द्वारा जारी सत्यापित फोटो पहचान / मान्यता प्राप्त कॉलेज या युनिवर्सिटी द्वारा हाल ही में जारी किया गया वैध पहचान कार्ड/ फोटो सहित आधार कार्ड/ कार्मिक आईडी/ फोटो ग्राफ सहित बार काउंसिल पहचान कार्ड प्रस्तुत करें. उम्मीदवार की पहचान का सत्यापन उसके द्वारा बुलावा पत्र, उपस्थित सूची और प्रस्तुत किए गए संबंधित दस्तावेज के विवरणों के साथ किया जाएगा. यदि उम्मीदवार की पहचान संदिग्ध पाई जाती है तो उम्मीदवार को परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है.
इस प्रक्रिया हेतु राशन कार्ड एवं लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस वैध आईडी साक्ष्य नहीं है.

टिप्पणी : उम्मीदवार को मूल पहचान साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा और फोटो पहचान साक्ष्य की प्रतिलिपि परीक्षा में उपस्थिति के दौरान परीक्षा बुलावा पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा. क्रमश: इसी प्रकार साक्षात्कार के समय साक्षात्कार बुलावा पत्र सहित प्रस्तुत करें. इसके बिना परीक्षा / साक्षात्कार देने की अनुमति नहीं दी जाएगी. उम्मीदवार अवश्य नोट करें कि बुलावा पत्र में दर्शाया गया नाम (पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान प्रदान किया गया हो) और फोटो पहचान साक्ष्य पर दर्शाया गया नाम बिल्कुल समतुल्य हो. महिला उम्मीदवार जिन्होंने विवाह के पश्यात् अपना पहले/अंतिम/मध्य नाम में परिवर्तन किया है इसे विशेष रुप में नोट करें. बुलावा पत्र और फोटो पहचान साक्ष्य में दर्शाए गए नाम के बीच किसी भी प्रकार का भेद पाया जाता है तो उम्मीदवार को परीक्षा में बैठनें की अनुमति नहीं दी जाएगी.

विलंब से उपस्थित होने वाले उम्मीदवार अर्थात परीक्षा हेतु बुलावा पत्र में विनिर्दिष्ट **<u>रिपोर्टिंग समय के पश्चात आनेवाले उम्मीदवार को परीक्षा देने की अनुमति नहीं होगी.</u>** बुलावा पत्र में वर्णित रिपोर्टिंग समय परीक्षा आरंभ समय से पहले होगा. भले ही प्रथम चरण परीक्षा की अवधि 1 घंटा तथा द्वितीय चरण के लिए 2.5 घंटे है, उम्मीदवार को विभिन्न औपचारिकताएं जैसे सत्यापन और विभिन्न आवश्यक दस्तावेजों को इकठ्ठा करने, लॉग-इन एवं निर्देशों इत्यादि हेतु परीक्षा स्थल पर अधिक समय के लिए रहना होगा.

बायमेट्रिक डाटा - केपचरिंग और सत्यापन

यह निर्णय लिया गया है कि वे उम्मीदवार जो प्राथमिक परीक्षा (प्रथम चरण) उत्तीर्ण करने के पश्चात् मुख्य परीक्षा (द्वितीय चरण) में भाग ले रहे हैं, उनका मुख्य परीक्षा (द्वितीय चरण) के दिन बायमेट्रिक डाटा (बाये अंगूठे का निशान या अन्य) तथा फोटोग्राफ लिया जाएगा. बायमेट्रिक डाटा तथा फोटोग्राफ को दो अवसर, उत्तीर्ण उम्मीदवारों के साक्षात्कार तथा अस्थायी रुप से चयन किए गए उम्मीदवार के सेवा प्रारंभ के समय सत्यापित किया जाएगा. इस से संबंधित (सुमेल तथा बेमेल) की स्थिति का निर्णय बायमेट्रिक प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा जो अंतिम होगा और उम्मीदवार के लिए बाध्यकारी होगा.

उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे इस प्रक्रिया के सुचारु प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए निम्न मदों का ध्यान रखें:

- यदि उंगलियों में कोटिंग (स्टैंप स्याही/मेंहदी/रंग इत्यादि) हो तो सुनिश्चित करें कि उसे अच्छी तरह धो लिया गया है ताकि परीक्षा/साक्षात्कार/कार्यभार ग्रहण दिवस से पहले कोटिंग पूर्ण रुप से निकल गयी हो.
- यदि उंगलिया गंदी या मैली हैं, सुनिश्चित करें कि फिंगरप्रिंट/उंगली की छाप (बायमैट्रिक) कैपचर करने से पहले उन्हें धो और सुखा लिया गया है.

- सुनिश्चित करें कि दोनों हाथों की उंगलिया सूखी हैं. यदि उंगलिया गीली हैं तो प्रत्येक उंगली को सुखा लें.
- यदि प्रमुख उंगली (बाया अंगूठा) जिसे कैपचर किया जाना है में चोट/क्षति हुई है तो परीक्षा केंद्र के संबंधित प्राधिकारी को तुरंत सूचित करें. ऐसे मामलों में अन्य उंगलियां, पैर की उंगलियों की छाप इत्यादि को कैपचर किया जा सकता है.

सामाजिक दूरी पद्धति से परीक्षा संचालन संबंधी अनुदेश

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल पर बुलावा पत्र में उल्लिखित **और / या** परीक्षा तिथि से पूर्व उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर/मेल पर SMS/मेल के जरिए सूचित समयावधि के अनुसार ही रिपोर्ट करना है। अभ्यर्थियों से इस समयावधि का सख्ती से पालन अपेक्षित है - क्योंकि परीक्षा स्थल पर प्रवेश की अनुमति संबंधित अभ्यर्थी को **केवल** उसे आबंटित समयावधि में ही मिलेगी। अभ्यर्थी को बुलावा पत्र में दिए गए रिपोर्टिंग समय से न्यूनतम 15 मिनट पहले रिपोर्ट करना चाहिए।

2. अभ्यर्थी के अनुक्रमांक व उनके बैठने की लैब संख्या परीक्षा स्थल के बाहर नहीं दर्शाई जाएगी, पर इसे प्रत्येक अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल पर प्रवेश करने के समय बता दिया जाएगा।

3. परीक्षा स्थल पर अभ्यर्थियों को अनुमत सामग्री
   अभ्यर्थियों को परीक्षा स्थल पर केवल कुछ निश्चित सामान लाने की अनुमति होगी:
   a.मास्क **(मास्क पहनना अनिवार्य है)**
   b. दस्ताने
   c. पानी की अपनी पारदर्शी बोतल **(अभ्यर्थी अपनी पानी की बोतल लेकर आएँ)**
   d.अपनाहैंडसैनिटाइजर (50 मिली)
   e. एक सामान्य पेन और एक स्टैम्प पैड
   f. परीक्षा संबंधी कागजात (बुलावा पत्र जिसके साथ ID कार्ड की फोटोप्रति संलग्न हो, सत्यापन के लिए मूल ID कार्ड)
   g.बुलावा पत्र इसके साथ ID कार्ड की फोटोप्रति संलग्न करके लाएँ। मूल ID (फोटोप्रतिवाली) भी सत्यापन हेतु साथ लेकर आएँ। ID तथा बुलावा पत्र पर नाम बिलकुल एक जैसा होना चाहिए ।
   h. स्क्राइब वाले अभ्यर्थियों के मामले में -विधिवत भरा व फोटोग्राफ लगा कर हस्ताक्षर किया हुआ स्क्राइब फार्म
   परीक्षा स्थल के भीतर कोई अन्य सामग्री लाने की अनुमति नहीं है।

4. अभ्यर्थीको अपने किसी भी निजी सामान/सामग्री को किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए।

5. अभ्यर्थीको एक दूसरे से सुरक्षित सामाजिक दूरी बनाकर रखनी चाहिए।

6. अभ्यर्थीको स्थल पर दिए गए निर्देशों के अनुसार पंक्ति में खड़े होना चाहिए।

7. यदि अभ्यर्थी स्क्राइब की सुविधा का लाभ उठा रहा है तो स्क्राइब को भी अपने मास्क, सैनिटाइज़र (50 मिली) और पानी की पारदर्शी बोतल लानी चाहिए। अभ्यर्थी और स्क्राइब दोनों को N-95 मास्क पहनकर रखना होगा।

8. अभ्यर्थी द्वारा अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु एप्प जरूर इन्सटाल किया हुआ होना चाहिए। आरोग्य सेतु स्टेटस में अभ्यर्थी का जोखिम स्तर जरूर दर्शाया हुआ होना चाहिए। अभ्यर्थी को यह स्टेटस परीक्षा स्थल में प्रवेश करते समय सुरक्षा गार्ड को दिखाना होगा। यदि अभ्यर्थी के पास स्मार्टफोन नहीं है तो उसे इस आशय की हस्ताक्षरित घोषणा (घोषणा इस बुलावा पत्र के साथ उपलब्ध करायी गई है) लानी होगी और इसे परीक्षास्थल में प्रवेश करते समय सुरक्षागार्ड को दिखाना होगा। (यदि अभ्यर्थी स्क्राइब की सेवाओं का लाभ उठा रहा है तो स्क्राइब को भी इन्हीं निर्देशों का पालन करना होगा)

9. प्रवेश द्वार पर आरोग्य सेतु स्टेटस दिखाने के बाद अभ्यर्थियों को अपने मोबाइल फोन स्विचऑफ कर तय स्थान पर जमा करने होंगे और परीक्षास्थल से बाहर निकलते समय वापस इन्हें लेना होगा ।

10. प्रवेश द्वार पर सभी अभ्यर्थियों (और स्क्राइब, यदि लागू है) के तापमान की जांच थर्मामीटर गन से की जाएगी।

11. अभ्यर्थी पंजीकरण में:

क. अभ्यर्थी का पंजीकरण फोटो लेकर किया जाएगा. ली गई फोटो आवेदन (बुलावापत्र में यथामुद्रित) में आपके द्वारा अपलोड की गई फोटो से मिलायी जाएगी। आपकी शक्ल/रूप-रंग आपके द्वारा अपलोड की गई फोटो से अलग नहीं होनी/होना चाहिए।

ख. फोटोग्राफ अभ्यर्थी के खड़े होने की मुद्रा में लिया जाएगा

ग. अभ्यर्थीको सीट क्रमांक दिया जाएगा

12. रफ शीट, बुलावा पत्र और ID प्रमाण प्रबंधन

- अभ्यर्थी, प्रत्येक अभ्यर्थी डेस्क पर रखी रफशीट का इस्तेमाल करेंगे।
- अभ्यर्थी को लैब/स्थल को छोड़ते समय उपलब्ध कराए गए बॉक्सों में या किसी तय स्थान पर ID प्रमाण प्रति सहित बुलावा पत्र डालने के संबंध में निर्देशों का पालन अवश्य करना चाहिए। स्क्राइब की सेवाओं का लाभ उठाने वाले अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र और ID प्रमाण की प्रति सहित स्क्राइब फॉर्म जमा करना चाहिए।
- अभ्यर्थी को लैब/स्थल से बाहर निकलते समय, वहाँ उपलब्ध कराए गए बॉक्सों में या परीक्षा पदाधिकारियों द्वारा निर्देशित तयस्थान पर रफशीट, बुलावापत्र, ID प्रमाण की प्रति अनिवार्यतः डालनी चाहिए।

13. परीक्षा आयोजित होने के बाद नियंत्रण:

- परीक्षा पूर्ण होने पर अभ्यर्थियों को परीक्षा स्थल स्टाफ द्वारा निर्देशित किए जाने के अनुरूप भीड़ लगाए बगैर व्यवस्थित तरीके से बाहर निकलना चाहिए।

<u>साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज (जो लागू हो)</u>

साक्षात्कार के समय उम्मीदवार को अपनी पात्रता और पहचान के समर्थन में **निम्न दस्तावेज़ मूल रूप में और स्व:सत्यापित फोटो प्रतियों** के साथ निश्चित रूप से प्रस्तुत करने होंगे, ऐसा ना कर पाने पर उम्मीदवार को साक्षात्कार देने की अनुमति नहीं होगी। **साक्षात्कार के समय उम्मीदवार द्वारा अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत न कर पाने पर आगामी भर्ती प्रक्रिया में उसकी उम्मीदवारी वर्जित कर दी जाएगी.**

i. वैध साक्षात्कार बुलावा पत्र का प्रिंट आउट.

ii. ऑनलाईन परीक्षा के लिए पंजीकृत ऑनलाईन आवेदन फार्म का वैध सिस्टम जनरेटिड प्रिंटआउट.

iii. जन्मतिथि का प्रमाणपत्र (सक्षम नगरपालिका प्राधिकारियों द्वारा जारी या एसएसएलसी/ जन्मतिथि के साथ दसवीं कक्षा का प्रमाणपत्र)

iv. विज्ञापन में दर्शाए गए अनुसार पहचान को सत्यापित करते हुए फोटो पहचान साक्ष्य.

v. बोर्ड / यूनिवर्सिटी द्वारा दिनांक 30.09.2021 से पहले या तक परिणाम घोषित करता हुआ दसवीं, बारहवीं, स्नातक एवं स्नातकोत्तर(यदि कोई है तो) या समतुल्य शैक्षणिक योग्यता इत्यादि की अंक सूची तथा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करवाया जाए. जहां सीजीपीए/ओजीपीए दिये गए है वहाँ उम्मीदवार को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र देना होगा जिसमें विश्व विद्यालय द्वारा ग्रेड की प्रतिशत के परिवर्तन से संबंधित शर्त तथा उम्मीदवार द्वारा नियमों के आधार पर प्राप्त अंकों का प्रतिशत दर्शाया गया हो.

vi. अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. श्रेणी के उम्मीदवारों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारुप में माँगा गया जाति प्रमाणपत्र तथा जाति वैधता प्रमाण पत्र (जहां भी वैध हो) जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो.

अ.पि.व. श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में प्रमाण-पत्र में विशेष रूप से धारा होनी चाहिए कि उम्मीदवार क्रीमीलेयर वर्ग से संबंधित नहीं है जो कि भारत सरकार के अंतर्गत सिविल पदों तथा सेवाओं में अन्य पिछडी जातियों के आरक्षण के लाभों से वर्जित है. नॉन क्रीमीलेयर क्लॉज से संबंधित अ.पि.व. जाति प्रमाणपत्र, ऑनलाईन पंजीकरण की तिथि पर वैध होना चाहिए जैसा कि इस विज्ञापन के मद संख्या 13(B) में उल्लेखित है. प्रमाणपत्र में जाति के नाम का उल्लेख, केंद्र सरकार सूची /अधिसूचना के पत्र के साथ हूबहू मेल खाना चाहिए.

अ.पि.व. से संबंधित उम्मीदवार परंतु क्रीमीलेयर के अंतर्गत आनेवाले तथा/ या यदि उनकी जाति केंद्रीय अ.पि.व. सूची में स्थान नहीं पाती है तो वह अ.पि.व. आरक्षण पाने के पात्र नहीं है. वे उम्मीदवार ऑनालाइन आवेदन प्रारूप में अपने वर्ग को 'सामान्य' दर्शायें.

vii. बेंचमार्क दिव्यांगजन के मामले में सक्षम प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में अशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया हो.
सक्षम प्रमाणन प्राधिकारी, जिला स्तर के मेडिकल बोर्ड के प्राधिकृत सत्यापन प्राधिकारी होंगे जिसमें मुख्य मेडिकल अधिकारी, जिले के उप मंडलीय मेडिकल अधिकारी और ऑर्थोपेडिक/ ऑपथालमिक/ ईएनटी सर्जन शामिल होंगे.
ऑन लाईन परीक्षा के समय यदि उम्मीदवार स्क्राइब की सेवाओं का उपयोग करता है तो विनिर्दिष्ट प्रारूप (वेबसाइट पर उपलब्ध) में स्क्राइब का विवरण विधिवत भरा जाए.

viii. भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार को साक्षात्कार के समय पेंशन भुगतान आदेश तथा अंतिम /वर्तमान रैंक के दस्तावेजी प्रमाण के साथ सेवा या सेवामुक्ति पुस्तिका प्रस्तुत करनी होगी (मूलभूत के साथ-साथ कार्यकारी). वे जो अब भी रक्षा सेवाओं में हैं, सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें कि उन्हें 31.03.2022 तक या उससे पहले रक्षा सेवाओं से मुक्त कर दिया जाएगा.

ix. ईडबल्यूएस उम्मीदवारों के मामले में, आय और संपत्ति प्रमाणपत्र, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया होना चाहिए.

x. सरकारी, अर्ध सरकारी /सार्वजनिक उपक्रमों (राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं सहित) की सेवाओं के उम्मीदवार को अपने साक्षात्कार के समय अपने नियोक्ता से प्राप्त 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' प्रस्तुत करना होगा. इसके न होने पर उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा और यदि कोई यात्रा व्यय, अन्य प्रकार से देय, स्वीकार्य नहीं होंगे.

xi. अनुभव प्रमाणपत्र यदि कोई हैं तो

xii. राष्ट्रीयता के आधार पर (बी) (सी) (डी) और (इ) की श्रेणी में आने वाले उम्मीदवार भारत सरकार द्वारा जारी पात्रता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें

xiii. पात्रता के समर्थन में कोई अन्य संबंधित दस्तावेज.

टिप्पणी : यदि उम्मीदवार उपर्युक्त उल्लिखित पात्रता संबंधी दस्तावेज जमा कर पाने में असमर्थ होता है तो उसे साक्षात्कार देने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

9. आवेदन शुल्क (अप्रतिदेय)

दिनांक **01.09.2021** से **21.09.2021** तक (दोनों तिथियां शामिल) ऑनलाइन अदा किया जाना है.

क्र.	**श्रेणी**	**आवेदन शुल्क**
1	अ.जा/ अ.ज.जा/ पीडब्लूबीडी	**रु. 100/- (केवल सूचना शुल्क)**
2	अ.जा/ अ.ज.जा/ पीडब्लूबीडी उम्मीदवारों को छोड़कर सभी उम्मीदवार	**रु. 750/- (आवेदन शुल्क जिसमें सूचना शुल्क भी शामिल है.)**

*यदि कोई ट्रांज़एक्शन शुल्क होगा तो उसे उम्मीदवार द्वारा वहन किया जाएगा

एक बार अदा किया गया शुल्क / सूचना शुल्क किसी भी रुप में लौटाया नहीं जाएगा और न ही वह किसी अन्य परीक्षा या चयन हेतु सुरक्षित रखा जाएगा.

10. (ए) परीक्षा केन्द्र :

- सत्र की परीक्षा से संबंधित बुलावा पत्र में दर्शाए गए स्थान पर ऑन लाईन परीक्षा संचालित की जाएगी.
- परीक्षा के केन्द्र / स्थान/ दिनांक / परीक्षा सत्र में परिवर्तन के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा
- हालांकि फिर भी कंपनी अपने पास यह अधिकार सुरक्षित रखती है कि वह किसी भी परीक्षा केंद्र और /या कुछ अन्य केन्द्रों को अपने विवेकाधिकार द्वारा आवेदनों की संख्या और/या प्रशासनिक व्यवहार्यता को देखते हुये रद्द कर सकती है या बढ़ा सकती है.
- उम्मीदवार द्वारा चुने गए केंद्र को छोडकर उसे अन्य कोई भी केंद्र आबंटित करने का अधिकार भी कंपनी के पास सुरक्षित रहेगा.
- उम्मीदवार परीक्षा केंद्र (ओं) पर स्वयं के जोखिम पर और खर्चे पर उपस्थित रहेगा और किसी भी प्रकार के घाव या हानि आदि के लिए कंपनी की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी.
- प्रथम व द्वितीय चरण के परीक्षा केन्द्रों की अस्थायी सूची नीचे दी गयी है

परीक्षा केंद्र तथा तिथि कंपनी के विवेकाधिकार पर बदले जा सकते हैं. किसी भी केंद्र में परीक्षा के रद्द होने की स्थिति में कंपनी के पास संबंधित उम्मीदवार को वैकल्पिक केंद्र आबंटित करने का विवेकाधिकार है. प्रथम चरण तथा द्वितीय चरण के लिए अलग-अलग बुलावा पत्र जारी किए जाएंगे तथा कंपनी द्वारा उपलब्ध करवाएं गए वेबसाईट लिंक www.newindia.co.in से उचित समय पर डाउन लोड किए जाए. बिना बुलावा पत्रों के उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी.

नोट: यदि उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या ने 'ऑनलाईन' परीक्षा के लिए किसी विशेष केन्द्र का विकल्प नहीं लिया है तो अन्य किसी भी संलग्न केंद्र उन उम्मीदवारों को आबंटित करने का अधिकार कंपनी के पास सुरक्षित है या ऑनलाईन परीक्षा के लिए उपलब्ध अन्य सेंटर/केंद्र में सामर्थ्य से अधिक उम्मीदवारों की संख्या होने पर उम्मीदवारों को कोई अन्य केंद्र आबंटित करने का अधिकार कंपनी के पास सुरक्षित है.

प्रथम चरण की परीक्षा निम्नलिखित केन्द्रों (अस्थायी) में आयोजित की जाएगी.

राज्य/ के.शा.प्र/ र. रा.क्षे	केंद्र
अंडमान एंड निकोबार	पोर्ट ब्लेर
आंध्र प्रदेश	चिराला
	गुन्टूर
	हैदराबाद
	काकीनाड़ा
	कुरनूल
	नेल्लौर
	राजाहमुद्री
	विशाखापट्टनम
	विजयवाडा
	तिरुपति
	विजियानाग्राम
अरुणाचल प्रदेश	इटानगर/ नहरलगुन
असम	गुवाहाटी
	डिबरुगढ
	जोरहाट
	सिल्चर
	तेजपुर
बिहार	आरा
	औरंगाबाद
	भागलपुर
	दरभंगा
	गया
	मुजफरपुर
	पटना
	पूर्णिया
चंडीगढ़	चंडीगढ़/ मोहाली
छत्तीसगढ़	भिलाई
	बिलासपुर
	रायपुर
दाद्रा एवं नगर हवेली	सूरत
दमन एवं दिऊ	सूरत
दिल्ली	दिल्ली
	ग्रेटर नोएडा
	गुडगांव
	गाज़ियाबाद
	फ़रीदाबाद
गोवा	पणजी
गुजरात	अहमदाबाद
	आनंद
	बड़ौदा
	गांधीनगर
	सूरत
	राजकोट
	मेहसाना
हरियाणा	अंबाला
	हिसार
	करनाल
	कुरुक्षेत्र
	पानीपत
	यमुना नगर
हिमाचल प्रदेश	शिमला
	हमीरपुर
	कांगड़ा
	कुल्लू
	मंडी
	सोलन
	ऊना
जम्मू व काश्मीर	जम्मू
	श्रीनगर
	सांबा
झारखंड	रांची
	जमशेदपुर
	धनबाद
	बोकारो
	हज़ारीबाग
कर्नाटक	बेंगलुरु
	हुबली
	मैसूर

	बेलगाम
	गुलबर्गा
	शिमोगा
	उडिपी
	मैंगलोर
केरल	कोच्ची
	तिरुवनंतपुरम
	अल्लापुया
	कन्नूर
	कोल्लम
	कोझिकोड
	मल्लापुरम
	पलक्कड़
	त्रिचूर
	कोटयम
मध्यप्रदेश	भोपाल
	इंदौर
	जबलपुर
	सागर
	सतना
	उज्जैन
	ग्वालियर
महाराष्ट्र	मुंबई/ठाणे/नवी मुंबई
	नांदेड़
	पुणे
	नागपुर
	कोल्हापुर
	अमरावती
	नासिक
	चंद्रपुर
	धुले
	जलगांव
	लातूर
	रत्नागिरी
	औरंगाबाद
मणिपुर	इम्फाल
मेघालय	शिलोंग
मिजोरम	आइज़वल
नागालैंड	कोहिमा
उडीसा	भुवनेश्वर
	संबलपुर
	बालासोर
	राउरकेला
	कटक

	धेंकनाल
	बरहमपुर (गंजम)
पुदुचेरी	पुदुचेरी
पंजाब	लुधियाना
	जालंधर
	भटिंडा
	मोहाली
	पठानकोट
	पटियाला
	अमृतसर
राजस्थान	जयपुर
	जोधपुर
	कोटा
	उदयपुर
	अलवर
	बीकानेर
	सीकर
	अजमेर
सिक्किम	गैंगटॉक- बरडंग
तमिलनाडू	चेन्नै
	कोयम्बटूर
	मदुराई
	वैलोर
	नागरकॉय्ल
	थञ्ज्वूर
	त्रिचिरपल्ले
	तिरुनेल्वेल्ली
	सेलम
तेलनगाना	हैदराबाद
	करीमनगर
	खम्मम
	वारंगल
त्रिपुरा	अगरतला
उत्तरप्रदेश	लखनऊ
	इलाहाबाद
	वाराणसी
	कानपुर
	आगरा
	अलीगढ़
	गोरखपुर
	झांसी
	मथुरा
	मेरठ
	मुरादाबाद
	मुज़फ्फ़रनगर

	बरेली
उत्तराखंड	देहरादून
	हल्दवानी
	रुड़की
पश्चिम बंगाल	कोलकाता

	सिलीगुडी
	आसनसोल
	ग्रेटर कोलकाता
	हुगली
	कल्याणी

द्वितीय चरण की परीक्षा निम्नलिखित केन्द्रों (अस्थायी) में आयोजित की जाएगी.

राज्य/ के.शा.प्र/ र. रा.क्षे	केंद्र
आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम
	विजयवाडा
अरुणाचलप्रदेश	नहरलगुन
असम	गुवाहाटी
बिहार	पटना
चंडीगढ़	चंडीगढ़-मोहाली
छतीसगढ	रायपुर
दिल्ली	दिल्ली एन सी आर
गोवा	पणजी
गुजरात	अहमदाबाद / गांधीनगर
हरियाणा	हिसार
हिमाचल प्रदेश	शिमला
	हमीरपुर
जम्मू व काश्मीर	जम्मू
	श्रीनगर
झारखंड	रांची
कर्नाटक	बेंगलुरु
केरल	कोच्ची
मध्यप्रदेश	भोपाल
महाराष्ट्र	मुंबई/ठाणे/नवी मुंबई
	पुणे
मणिपुर	इम्फाल
उडीसा	भुवनेश्वर
पंजाब	मोहाली
राजस्थान	जयपुर
तमिलनाडू	चेन्नै
तेलनगाना	हैदराबाद
उत्तरप्रदेश	लखनऊ
	इलाहाबाद
उत्तराखंड	देहरादून
पश्चिम बंगाल	ग्रेटर कोलकाता

10 (बी) परीक्षा - पूर्व प्रशिक्षण (ऑनलाइन): अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व.(नॉन क्रीमी) उम्मीदवार जो परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण की सुविधा का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक हैं वे ऑनलाइन पंजीकरणके दौरान सूचित कर सकते हैं. कृपया नियमित अध्यतन हेतु कंपनी वेबसाइट www.newindia.co.in के Recruitment खंड को देखें. जो उम्मीदवारों ने यह विकल्प चुनते हैं, उन्हें उनके पंजीकृत मेल आईडी/ मोबाइल नंबर पे भी सूचित किए जाएंगे.

कोविड 19 के कारण वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये, कंपनी द्वारा, व्यवहार्यता पे निर्भर, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण ऑनलाइन माध्यम से कराया जा सकता है. उम्मीदवार को यह प्रशिक्षण लेने से यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि कंपनी ने उम्मीदवारी को अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया है.

11. आवेदन कैसे करें

विस्तृत दिशा-निर्देश / प्रक्रिया निम्नलिखित के लिए :

ए. आवेदन पंजीकरण

बी. शुल्क भुगतान

सी. दस्तावेज़ स्कैन और अपलोड

पंजीकरण से पूर्व नोट की जाने वाली महत्वपूर्ण मदें-

ऑन लाईन आवेदन करने से पूर्व, उम्मीदवार को चाहिए कि

i. निम्न को स्कैन करें :

- फोटोग्राफ (4.5 cmx 3.5 cm)
- हस्ताक्षर **(सफ़ेद कागज़ पर काले कलम से)**
- बाएं अंगूठे की छाप **(सफ़ेद कागज़ पर काले या नीली स्याही से)**
- हस्त लिखित घोषणा **(सफ़ेद कागज़ पर काले कलम से) (नीचे दिये पाठ के अनुसार)**

ii. अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (कैपिटल लेटर) में हस्ताक्षर स्वीकार नहीं किया जाएगा

iii. बाएं अंगूठे की छाप ठीक ढंग से स्कैन की जानी चाहिए और धुंधला नहीं होना चाहिए। (अगर किसी उम्मीदवार का बायां अंगूठा ना हो तो वह आवेदन करने के लिए आपने दाहिनेअंगूठे का उपयोग कर सकता है)

iv. हस्त लिखित घोषणा के लिए पाठ इस प्रकार है:

"I, _______________________(Name of the candidate), hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid . I will present the supporting documents as and when required."

v. उपरोक्त उल्लिखित हस्तलिखित घोषणा उम्मीदवार की हस्तलेख में और केवल अंग्रेजी में होनी चाहिए। यदि यह किसी और के द्वारा या किसी अन्य भाषा में लिखा और अपलोड किया गया, तो आवेदन को अवैध माना जाएगा। (दृष्टिहीन उम्मीदवारों के लिए, जो लिख नहीं सकते हैं, वे टाइप किए गए घोषणा के नीचे अपने बाएं हाथ अंगूठे की छाप डाल सकते हैं और विनिर्देशों के अनुसार दस्तावेज़ अपलोड कर सकते हैं)

vi. आवेदन शुल्क /सूचना शुल्क के भुगतान करने के लिए आवश्यक विवरण / दस्तावेज़ तैयार रखें.

vii. वैध व्यक्तिगत ई-मेल आईडी और मोबाईल नं. हो जोकि भर्ती प्रक्रिया के पूर्ण होने तक सक्रीय रखा जाना चाहिए. सभी कार्यालयीन पत्राचार उम्मीदवार के इस पंजीकृत ई-मेल आईडी पर भेजे जाएंगे. किसी भी स्थिति में उम्मीदवार द्वारा यह ई-मेल आईडी किसी अन्य व्यक्ति के साथ बांटा न जाए. उम्मीदवार के पास वैध व्यक्तिगत ई-मेल आईडी न होने की स्थिति में, वह ऑन लाईन आवेदन करने से पहले अपना नया ई-मेल आईडी बनाए और मोबाईल रखें और अपना ई-मेल खाता और मोबाईल नंबर बरकरार रखें.

(ए) आवेदन प्रक्रिया

- उम्मीदवार को कंपनी की वेबसाईट **http://newindia.co.in** पर भर्ती (रिक्रूटमेंट) खंड में **"अप्लाई ऑन लाईन"** पर क्लिक करना होगा जिससे नई स्क्रीन खुलेगी.
- आवेदन पंजीकरण हेतु **"क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन"** का बटन चुने और नाम, संपर्क विवरण और ई-मेल आईडी दर्ज करें. स्क्रीन पर अस्थाई पंजीकरण संख्या और पासवर्ड सिस्टम द्वारा उत्पन्न किया जाएगा. उम्मीदवार अस्थाई पंजीकरण संख्या और पासवर्ड नोट करें. अस्थाई पंजीकरण संख्या और पासवर्ड दर्शाने वाले ई-मेल और एस.एम.एस. भी भेजे जाएंगे.
- उम्मीदवार द्वारा एक बार आवेदन पूर्ण न कर पाने की स्थिति में वे पहले से प्रविष्ट किये गये डाटा को "सेव एंड नेक्स्ट" टैब के माध्यम से सेव करें. ऑनलाईन आवेदन की प्रस्तुति से पहले उम्मीदवार को निर्देश दिया जाता है कि वह "सेव एंड नेक्स्ट" सुविधा के माध्यम से ऑन लाईन आवेदन फॉर्म में सभी विवरणों को सत्यापित कर लें और यदि आवश्यक हो तो उनका संशोधन भी करें. क्षीण दृष्टि वाले उम्मीदवार अपना आवेदन फॉर्म ध्यानपूर्वक भरें और सत्यापित करें और अंतिम प्रस्तुति से पहले अपने सभी विवरणों को सत्यापित करवाना सुनिश्चित करें.
- उम्मीदवार द्वरा आवेदन में दी गई सभी जानकारियों को अंतिम समझा जाएगा तथा अंतिम प्रस्तुति के पश्चात सुधार की अनुमति नहीं है. उम्मीदवारों को निर्देश दिये जाते हैं कि वे ऑन लाईन आवेदन ध्यानपूर्वक भरें और सभी विवरण स्वयं सत्यापित करें क्योंकि **"फाईनल सबमिट"** बटन क्लिक करने के पश्चात किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव / मान्य नहीं होगा.
- आवेदन में उम्मीदवार का नाम या उनके पिता / पति इत्यादि के नाम की वर्तनी सही हो जैसे कि उसके प्रमाणपत्रों / अंक सूचियों तथा फोटो आइ डी/पहचान पत्र में दिखाया गया हो. किसी भी प्रकार के परिवर्तन / संशोधन पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है.
- अपने विवरणों को प्रमाणित करें और अपने आवेदन को "वैलिडेट यूअर डिटेल्स" पर क्लिक कर सेव करें और "सेव एण्ड नेक्स्ट बटन" पर क्लिक करें.
- मद क्रमांक "सी" में दिये गये फोटोग्राफ और हस्ताक्षर को स्कैन और अपलोड करने हेतु विनिर्दिष्ट दिशा-निर्देशों के अनुसार ही फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने हेतु आगे बढ़े.
- उम्मीदवार आवेदन फॉर्म के अन्य विवरणों को भरने के लिए आगे बढ़ सकता है.
- प्रीव्यू हेतु "प्रीव्यू टैब" क्लिक करें और अंतिम प्रस्तुति से पहले संपूर्ण आवेदन फॉर्म को जांच लें.
- यदि आवश्यक हो तो विवरण संशोधित करें और अपलोडेड फोटोग्राफ, हस्ताक्षर और भरे गये अन्य विवरण सत्यापित और सुनिश्चित करने के पश्चात ही "फाईनल सबमिट" पर क्लिक करें.
- "पेमेंट" टैब पर क्लिक करें और भुगतान हेतु आगे बढ़ें.
- "सबमिट" बटन पर क्लिक करें.

(बी) शुल्क का भुगतान

(केवल ऑनलाईन माध्यम से)

- आवेदन शुल्क का भुगतान आवेदन फॉर्म को पूर्ण करने वाली प्रक्रिया है और यह भुगतान प्रक्रिया निर्देशों के अनुसार पूरी की जा सकती है.
- भुगतान केवल डेबिट कार्ड (रुपे/वीजा/मास्टर/मास्टेरो) या क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग/ आईएमपीएस/कॅश कार्ड/ मोबाइल वालेट के माध्यम से किया जा सकता है.
- ऑन लाईन आवेदन फॉर्म में भुगतान सूचना प्रस्तुत करने के पश्चात, कृपया सर्वर से सूचना प्राप्त करने का इंतजार करें. दोहरे शुल्क के प्रभार से बचाव हेतु "बैक" या "रिफ्रेश" बटन न दबाएं.
- सफलतापूर्वक ट्रांजेक्शन पूरी होने पर **ई-रसीद** जनरेट होगी.
- ई-रसीद जनरेट न होना इस बात को दर्शाता है कि भुगतान रद्द हो गया है. भुगतान के रद्द होने पर उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने अस्थायी पंजीकरण संख्या और पासवर्ड का प्रयोग करते हुए पुन: लॉग ईन करें और भुगतान की प्रकिया को दोहराएं.
- उम्मीदवारों के लिए यह आवश्यक है **कि वे ई-रसीद और ऑन लाईन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लें. कृपया नोट करें कि यदि यह जनरेट नहीं होता है तो यह समझें कि ऑनलाईन ट्रांजेक्शन सफलतापूर्वक नहीं हो पाया है.**
- **क्रेडिट कार्ड उपभोक्ताओं हेतु:** सभी प्रभार भारतीय रुपयों में सूचीबद्ध हैं. यदि आप गैर-भारतीय क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करते हैं तो आपका बैंक वर्तमान प्रचलित विनिमय दरों के अनुसार उसे स्थानीय मुद्रा में परिवर्तित कर देगा.
- अपने डाटा की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कृपया एक बार अपना ट्रांजेक्शन पूरा होने के पश्चात ब्राऊजर विंडों बंद कर दें.
- शुल्क के भुगतान के पश्चात शुल्क विवरणों सहित आवेदन फॉर्म का प्रिंट लेने की सुविधा है.

(सी) दस्तावेज़ स्कैन और अपलोड करने हेतु दिशा-निर्देश

- **फोटोग्राफ में चेहरा या हस्ताक्षर अस्पष्ट होने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है.**
- **उम्मीदवार आवेदन में संशोधन कर सकता है और ऐसे मामले में वह फोटोग्राफ / हस्ताक्षर पुन: अपलोड कर सकता है.**

फोटोग्राफ की छवि

- फोटोग्राफ वर्तमान पासपोर्ट आकार और रंगीन होनी चाहिए.
- तस्वीर रंगीन होनी चाहिए, प्रमुखत: पृष्ठभूमि सफेद या हलके रंग की हो.
- कैमरे को सीधे देखें और चेहरा ढीला (रीलैक्स) रखें.
- यदि तस्वीर धूप में ली गई है तो सूरज आपकी पिछली तरफ हो, या स्वयं को छाँव में रखे ताकि आपकी आंखें झपकें नहीं और कोई गहरी छाया न हो.
- यदि फ्लैश का प्रयोग करते हैं तो सुनिश्चित करें कि "रेड आई" न हो.
- यदि आप चश्मा पहनते हैं तो सुनिश्चित करें कि कोई प्रतिबिंब न हो और आपकी आंखें स्पष्ट दिखें.
- टोपी, हैट और गहरे रंग के चश्मे स्वीकार्य नहीं है. पगड़ी / धार्मिक दृष्टिकोण से सिर को ढकने की अनुमति है परन्तु यह आपके चेहरे को ढके नहीं.
- आकार 200 x 230 पिक्सल (अधिमानित)
- फाईल का आकार 20 के.बी. से 50 के.बी. के बीच में हो.
- सुनिश्चित करें कि स्कैन की गई ईमेज का आकार 50 केबी से अधिक न हो. यदि फाईल का आकार 50 केबी से अधिक होता है तो स्कैनर की सैटिंग जैसे कि डीपीआई रिजोल्यूशन, रंगों की संख्या आदि को स्कैन करते समय /प्रोसेसिंग के दौरान समायोजित करें.
- यदि फोटोग्राफ उसकी सही जगह पर अपलोड नहीं किया जाता है तो आवेदन अस्वीकार किया जाएगा ज्जिसके लिए उम्मीदवार खुद जिम्मेदार होगा.
- उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर ले कि फोटोग्राफ अपनी जगह तथा हस्ताक्षर अपनी जगह ही अपलोड किया हो. यदि ऐसा न किया हो तो उम्मीदवार को परीक्षा देने नहीं दिया जाएगा.
- उम्मीदवार यह भी सुनिश्चित करें कि अपलोड की गयी फोटोग्राफ आवश्यक आकार की हो और उसमें चेहरा स्पष्ट दिखाई दे रहा हो.

हस्ताक्षर,बाएं अंगूठे की छाप और लिखित घोषणाकीछवि :

- आवेदक सफेद पेपर पर काली स्याही के पेन से हस्ताक्षर करें.
- आवेदक अपने बाएं अंगूठे की छाप सफ़ेद कागज पर काले या नीले स्याही से करें।
- आवेदक को लिखित घोषणा सफ़ेद कागज पर काली स्याही से स्पष्ट रूप से अंग्रेजी में लिखनी है
- **हस्ताक्षर, बाएँ अंगूठे की छाप, और हस्त लिखित घोषणा केवल आवेदक द्वारा ही किए जाएं और अन्य किसी व्यक्ति द्वारा नहीं.**
- हस्ताक्षर का प्रयोग बुलावा पत्र पर लगाने के लिए तथा जहां कहीं आवश्यक हो वहां किया जाएगा.

- बुलावा पत्र और परीक्षा के समय उपस्थिती सूची में लिए गए आवेदक के हस्ताक्षर का मेल, अपलोड किए गए हस्ताक्षर से होना चाहिए. यदि हस्ताक्षर का मेल नहीं हो पाता है तो उम्मीद्वार को अयोग्य घोषित किया जाएगा .

बाएं अंगूठे की छाप

- आवेदक अपने बाएं अंगूठे की छाप सफ़ेद कागज पर काले या नीले स्याही से करें।
- बाएँ अंगूठे की छाप केवल आवेदक द्वारा ही किए जाएं और अन्य किसी व्यक्ति द्वारा नहीं.
    - फाइल का प्रकार: jpg/ jpeg
    - आयाम 200 dpi में 240x240 पिक्सल (आवश्यक गुणवत्ता के लिए ज़रूरी) जोकि 3 सीएम * 3 सीएम (चौड़ाई*ऊंचाई)
    - आकार 20 केबी से 50 केबी के बीच हो.

हस्त लिखित घोषणा

- हस्त लिखित घोषणा वैसी ही हो जैसी कि अपेक्षित है
- हस्त लिखित घोषणा अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (कैपिटल लेटर) में स्वीकार नहीं किया जाएगा
- हस्त लिखित घोषणा उम्मीदवार की हस्तलेख में और केवल अंग्रेजी में सफ़ेद कागज पर काली स्याही से स्पष्ट रूप से लिखी जानी चाहिए.
- हस्त लिखित घोषणा उम्मीदवार के द्वारा स्वयं भरा जाना चाहिए.
    - फाइल का प्रकार: jpg/ jpeg
    - आयाम 200 dpi में 800x400 पिक्सल (आवश्यक गुणवत्ता के लिए ज़रूरी) जोकि 10 सीएम * 5 सीएम (चौड़ाई*ऊंचाई)
    - आकार 50 केबी से 100 केबी के बीच हो.

फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की स्कैनिंग

- स्कैनर का रेसोल्यूशन कम से कम 200 डीपीआई (डोट्स प्रति इंच) पर सैट करें
- रंग को ट्रू कलर पर सैट करे
- बाएँ अंगूठे की छाप, और हस्त लिखित घोषणा के किनारे तक इमेज को स्केनर में क्रोप करें फिर अपलोड एडिटर का प्रयोग करते हुए इमेज को अंतिम साईज तक क्रोप करें (जैसा उल्लेख किया गया है)
- फाईल की छवि जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए. उदाहरण के लिए फाईल का नाम: छवि01.जेपीजी या छवि01.जेपीईजी.
- छवि का आकार फोल्डर फाईलो को सूचीबद्ध कर के या माउस को फाईल ईमेज आईकन पर ले जाकर जाँचा जा सकता है.
- उम्मीदवार जो एमएस विंडो/एमएस ऑफिस का प्रयोग कर रहे है वे आसानी से फोटो और हस्ताक्षर को एमएस पेंट या एमएस ऑफिस पिक्चर मेनेजर से प्राप्त कर सकते हैं. किसी भी फॉर्मेट में स्कैन किए गए फोटोग्राफ और हस्ताक्षर को जेपीजी फॉर्मेट में फाईल मेन्यु के `सेव ऐज` विकल्प में सुरक्षित/सेव कर सकते हैं. फाइल को क्रॉप का प्रयोग करते हुए, फिर री साईज का विकल्प चुनते हुए नियमित किया जा सकता है.

- **यदि फाईल का आकार और फॉर्मेट निर्धारित निर्देश के अनुसार नहीं है, तो एरर का संदेश प्रदर्शित होगा.**
- **ऑनलाईन आवेदन पत्र/फॉर्म भरने के दौरान उम्मीदवार को फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करने हेतु लिंक प्रदान किया जाएगा.**

अपलोड करने की प्रक्रिया

- फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे की छाप और हस्त लिखित घोषणा अपलोड करने के लिए दो अलग-अलग लिंक दिया जाएगा.
- संबंधित लिंक पर क्लिक करें "अपलोड फोटोग्राफ/ हस्ताक्षर/ बाएं अंगूठे की छाप/ हस्त लिखित घोषणा"
- जहां फोटोग्राफ/ हस्ताक्षर /बाएं अंगूठे की छाप/ हस्त लिखित घोषणा फाईल सेव की गई हैउस स्थान पर ब्राऊज कर सिलेक्ट करें.
- फाईल पर क्लिक कर उसे सिलेक्ट करें.
- "ओपेन / अपलोड" बटन पर क्लिक करें. आपका ऑनलाइन आवेदन तब तक पंजीकृत नहीं होगा जब तक कि आप अपना फोटो, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे की छाप और निर्दिष्ट लिखित घोषणा को निर्दिष्ट न करें।
- यदि फाईल का आकार और फॉर्मेट निर्धारित निर्देश के अनुसार नहीं है, तो एरर का संदेश प्रदर्शित होगा.
- "प्रीव्यू" के माध्यम से जांच ले दस्तावेज़ , करें.

टिप्पणी:

(1) **यदि तस्वीर या हस्ताक्षर या बाएं अंगूठे की छाप या हस्त लिखित घोषणा में चेहरा अस्पष्ट / धुंधला है तो उम्मीदवार के आवेदन को खारिज कर दिया जा सकता है.**

(2) **उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र का एक प्रिंटआउट लेने की सलाह दी जाती है.**

टिप्पणी : कृपया नोट करें कि ऑन लाईन आवेदन में वर्णित विवरण जिसमें उम्मीदवार का नाम, श्रेणी, जन्म की तारीख, पता, मोबाईल क्रमांक/नंबर, ई-मेल आई डी, परीक्षा केन्द्र आदि लिखा गया है जो अंतिम माना जाएगा और एक बार ऑन लाईन आवेदन फार्म जमा कर देने के पश्चात किसी प्रकार के परिवर्तन /संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी. अत: उम्मीदवारों को निर्देश दिया जाता है कि वे ऑन लाईन आवेदन पूर्ण सावधानी से करें क्योंकि इस संबंध में किसी भी प्रकार के पत्र व्यवहार पर विचार नहीं किया जाएगा. आवेदन में गलत और/या अपूर्ण विवरण के कारण उत्पन्न किसी भी परिणाम या आवेदन फार्म/पत्र में दिए गए आवश्यक विवरण में किसी भी प्रकार की त्रुटि की जिम्मेदारी कंपनी की नहीं होगी.

किसी भी संदर्भ में ऑनलाईन आवेदन यदि अधूरा होता है जैसे ऑनलाईन आवेदन में अपलोडेड अनुचित आकार की फोटोग्राफ/ हस्ताक्षर / बाएँ अंगूठे की छाप/ हस्त लिखित घोषणा/ असफल शुल्क भुगतान, विचाराधीन और मान्य नहीं होगा. उम्मीदवारों को निर्देश दिया जाता है कि वे अंतिम तारीख की समाप्ति से काफी पहले ऑनलाईन आवेदन करें और शुल्क / सूचना प्रभार जमा कराने की अंतिम तारीख का इंतजार न करें ताकि इंटरनेट / वेबसाईट पर भारी लोड/भार तथा जैम के कारण वेबसाईट पर लॉगईन फ़ेल्युर / अनुपलब्धता / असंबंध की संभावना से बचा जा सके. उक्त वर्णित कारणों या अन्य किसी कारण से यदि उम्मीदवार अंतिम तारीख तक अपने आवेदन प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो इसके लिए कंपनी को जिम्मेदार नहीं माना जाएगा. कृपया नोट करें कि केवल उक्त प्रक्रिया ही आवेदन करने की वैध प्रक्रिया है. अन्य किसी माध्यम से आवेदित या अधूरी प्रक्रिया से किये गये आवेदन रद्द कर दिये जाएंगे.

आवेदक द्वारा उसके आवेदन में प्रस्तुत की गई कोई भी सूचना उम्मीदवार के लिये व्यक्तिगत रुप से बाध्य होगी और बाद में किसी भी स्तर पर उनके द्वारा प्रस्तुत की गयी सूचना / दिये गये विवरण यदि गलत पाये जाते हैं उस मामले में उत्पन्न होने वाले अभियोजन / शासकीय परिणामों हेतु उम्मीदवार स्वयं जिम्मेदार होंगे.

बुलावा पत्र डाऊनलोड करना

ऑन लाईन परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय चरण की परीक्षाओं के लिए अलग-अलग से) के लिए बुलावा पत्र डाऊनलोड करने हेतु उम्मीदवार हमारी वेबसाईट http:/newindia.co.in. पर संपर्क करें. बुलावा पत्र डाऊनलोड करने की सूचना ई-मेल/ एसएमएस द्वारा भी दी जाएगी. उम्मीदवार संबंधित लिंक पर क्लिक करके बुलावा पत्र डाउन लोड करने हेतु विंडो तक पहुँच सकता है. बुलावापत्र डाऊन लोड करने हेतु उम्मीदवार का (i) पंजीकरण संख्या / अनु.क्रमांक, (ii) पासवर्ड / जन्म की तारीख आवश्यक है. प्रमुखत: पंजीकरण के दौरान लगाई गयी वर्तमान पहचान योग्य फोटोग्राफ ही बुलावा पत्र पर चिपकाएं और परीक्षा केन्द्र में (i) बुलावा पत्र (ii) मूल फोटो पहचान साक्ष्य जैसे कि 'पहचान सत्यापन' और बुलावा पत्र में उल्लिखित है तथा iii) मूल फोटो पहचान साक्ष्य की एक प्रतिलिपि साथ में लाएं .

12. कदाचार में दोषी पाये जाने वाले उम्मीदवारों के विरुद्ध कार्रवाई

उम्मीदवारों को यह परामर्श दिया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के दौरान दिये गये विवरण में वे किसी प्रकार की गलत बयानी, हेरफेर, जालसाजी या किसी भी महत्वपूर्ण सूचना को दबाने का प्रयास न करें.

ऑनलाईन परीक्षा / साक्षात्कार या आगामी चयन प्रक्रिया के समय यदि उम्मीदवार निम्न का दोषी पाया जाता है (या है) :

(i) परीक्षा के दौरान गलत स्रोत का प्रयोग या (ii) छद्मरुप या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा छद्म रुप धारण करने या (iii) परीक्षा/साक्षात्कार कक्ष में दुर्व्यवहार करने, परीक्षा (परीक्षाओं) की विषयवस्तु अथवा इसमें दी गई कोई जानकारी पूर्णत: अथवा अंशत: किसी भी रूप में किसी भी साधन वाचिक अथवा लिखित, इलेक्ट्रॉनिकली अथवा यांत्रिक रूप से, किसी भी उद्देश्य से प्रकट करने, प्रकाशित करने, प्रतिकृति करने, संचारित करने, स्टोर करने अथवा संचारित तथा स्टोर करने में सहायता करने या (iv) अपनी उम्मीदवारी के संबंध में अनियमित अथवा अनुचित साधनों का प्रयोग करने या (v) अनुचित साधनों के द्वारा अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करने या (vi) परीक्षा/साक्षात्कार हॉल में मोबाइल फोन या अन्य कोई संचार उपकरण अंदर ले जाना

तो ऐसा उम्मीदवार आपराधिक अभियोजन के साथ-साथ निम्नलिखित के लिए भी दायी होगा:

- परीक्षा से अयोग्य करार दिया जाएगा जिस परीक्षा के लिए उसकी उम्मीदवारी है.
- कंपनी द्वारा आयोजित किसी अन्य परीक्षा या भर्ती के लिए उसे स्थायी रुप से या विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वंचित कर दिया जाएगा.
- यदि कंपनी में कार्य ग्रहण कर चुका है (दि न्यू इंडिया एशुरेंस कंपनी लिमिटेड) तो उसे सेवाओं से निष्कासित कर दिया जाएगा.

13. अ.जा. / अ.ज.जा. / अ.पि.व. / पीडब्ल्यूबीडी हेतु विशेष दिशानिर्देश:-

ए) अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवार द्वारा निम्नलिखित प्राधिकारियों से जाति संबंधी प्रमाणपत्र प्राप्त किए जाए :

- जिला मैजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट/ जिलाधिकारी/ उपायुक्त/ उप जिलाधिकारी/ प्रथम श्रेणी स्टायपेन्डरी मैजिस्ट्रेट/ उप मंडलीय मैजिस्ट्रेट/ तालुका मैजिस्ट्रेट/ उच्च मैजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी स्टायपेन्डरी मैजिस्ट्रेट के पद से नीचे नहीं).
- मुख्य अध्यक्षीय मैजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य अध्यक्षीय मैजिस्ट्रेट/ अध्यक्षीय मैजिस्ट्रेट.
- राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे न हो.
- उस क्षेत्र का उप मंडलीय अधिकारी जहां उम्मीदवार और / या उसका परिवार सामान्यत: रहता है.
- जहां तक तमिलनाडु की अनुसूचित जनजाति का संबंध है, तहसीलदार द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र के एवज में राजस्व मंडल अधिकारी द्वारा दिये गये प्रमाणपत्र ही स्वीकार्य होगा.

नोट : राज्य / केन्द्रशासित प्रदेश, जहाँ से जाति प्रमाणपत्र जारी किया गया है, के उचित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया मूल जाति वैधता प्रमाणपत्र (जहां भी वैध हो), स्वतः सत्यापित फोटोप्रति सहित, साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना होगा.

बी) ऐसे उम्मीदवार जो अ.पि.व. के अंतर्गत आरक्षण चाहते हैं उन्हें "ओबीसी स्टेटस और नॉन-क्रीमी लेयर स्टेटस" के संबंध में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा जो कि डीओपीटी का.ज्ञा. संख्या 36012/22/93-स्था(एससीटी) तारीख 15/11/1993 (समय समय पर संशोधित) में उल्लेखित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो. प्रमाणपत्र में "नॉन क्रीमीलेयर खंड" होना अवश्य है जो कि डीओपीटी का.ज्ञा. संख्या 36012/22/93-स्था(एससीटी) तारीख 08/09/1993 (समय समय पर संशोधित) के अनुसूची के स्तंभ 3 के अनुसार हो. प्रमाणपत्र पिछले तीन वित्त वर्ष (2018-19, 2019-20 and 2020-21) की आय पर आधारित हो अथवा 31/03/2021 के बाद जारी किया गया हो. इसके बिना उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए उपस्थित नहीं होने दिया जाएगा ऐसे उम्मीदवार को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रारुप में घोषणा भी प्रस्तुत करनी है.

" मैं _______ पुत्र / पुत्री श्री _____________ गांव / नगर / शहर का निवासी ________ जिला __________ राज्य ___________ एतदद्वारा घोषणा करता हूं कि मैं _________ समुदाय से संबंध रखता हूं जिसकी पहचान भारत सरकार द्वारा सेवा में आरक्षण के प्रायोजन हेतु पिछड़े वर्ग के अंतर्गत की गयी है जो कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था (एससीटी) तारीख 08.09.1993 (समय समय पर संशोधित)' के नियमों के अनुसार जारी किया गया है. मैं यह भी घोषणा करता हूँ की मैं किसी व्यक्ति समूह/ समुदाय / समुदायों (क्रीमी लेयर) का हिस्सा नहीं हूँ, जिसका उल्लेख उपर्लिखित कार्यालय ज्ञापन तारीख 08.09.1993 (समय समय पर संशोधित) के स्तंभ 3 की सूची में हैं."

प्रमाणपत्र में जाति के नाम का उल्लेख, केंद्र सरकार सूची /अधिसूचना के पत्र के साथ हूबहू मेल खाना चाहिए. अ.पि.व. से संबंधित उम्मीदवार परंतु क्रीमीलेयर के अंतर्गत आनेवाले तथा/ या यदि उनकी जाति केंद्रीय अ.पि.व. सूची में स्थान नहीं पाती है तो वह अ.पि.व. आरक्षण पाने के पात्र नहीं है. वे उम्मीदवार ऑनालाइन आवेदन प्रारूप में अपने वर्ग को 'सामान्य' दर्शायें.

सी) अशक्तता सहित व्यक्तियों हेतु:- जिला स्तर के मेडिकल बोर्ड के प्राधिकृत सत्यापन प्राधिकारी होंगे जिसमें मुख्य मेडिकल अधिकारी, जिले के उप मंडलीय मेडिकल अधिकारी और ऑर्थोपेडिक/ ऑपथालमिक/ ईएनटी सर्जन शामिल होंगे.

डी) ईडबल्यूएस उम्मीदवारों के लिए जारी आय तथा संपत्ति प्रमाणपत्र को जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकरण (भारत सरकार द्वारा समय समय पे जारी) निम्न हैं:

I. जिला मैजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट/ जिलाधिकारी/ उपायुक्त/ उप जिलाधिकारी/ प्रथम श्रेणी स्टायपेन्डरी मैजिस्ट्रेट/ उप मंडलीय मैजिस्ट्रेट/ तालुका मैजिस्ट्रेट/ उच्च मैजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त सहायक आयुक्त
II. मुख्य अध्यक्षीय मैजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य अध्यक्षीय मैजिस्ट्रेट/ अध्यक्षीय मैजिस्ट्रेट
III. राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे न हो.
IV. उस क्षेत्र का उप मंडलीय अधिकारी जहां उम्मीदवार और / या उसका परिवार सामान्यत: रहता है.

ई) साक्षात्कार इत्यादि के समय पर प्रमाणपत्रों के संदर्भ में कृपया परिशिष्ट में दर्शाये गये निर्धारित फॉर्मेट (अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व., पीडब्ल्यूबीडी, ईडबल्यूएस, भूतपूर्व सैनिक) में ही प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये जाएं. इन श्रेणियों से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों के लिए यह आवश्यक है कि वे प्रमाणपत्र केवल इन्हीं फॉर्मेट में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें.

14. सामान्य सूचना:

1. उम्मीदवार को मूल पहचान साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा और फोटो पहचान साक्ष्य की प्रतिलिपि परीक्षा में उपस्थिति के दौरान परीक्षा बुलावा पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा. क्रमश: इसी प्रकार साक्षात्कार के समय साक्षात्कार बुलावा पत्र सहित प्रस्तुत करें. उम्मीदवार अवश्य नोट करें कि बुलावा पत्र में दर्शाया गया नाम (पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान प्रदान किया गया हो) और फोटो पहचान साक्ष्य पर दर्शाया गया नाम बिल्कुल समतुल्य हो.
2. परीक्षा प्रशासन में किसी भी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने की संभावना को पूर्णत: नकारा नहीं जा सकता जिसका प्रभाव परीक्षा देने और / या परिणाम तैयार करने पर हो सकता है. ऐसी घटना पर कठिनाई को दूर करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा, जिसमें उम्मीदवार को किसी अन्य केन्द्र में स्थानांतरित करना शामिल है या, यदि आवश्यक हो तो, अन्य परीक्षा भी आयोजित की जा सकती है. इस संबंध में कंपनी का निर्णय अंतिम होगा. ऐसे परिवर्तन को स्वीकार न करने के इच्छुक उम्मीदवार परीक्षा कीअपनी उम्मीदवारी खो देंगे.
3. भर्ती से संबंधित सभी मामलों में कंपनी का निर्णय अंतिम होगा और उम्मीदवारों के लिए बाध्य होगा. इस संदर्भ में किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार या व्यक्तिगत पूछताछ मान्य नहीं होंगी.
4. यदि परीक्षा एक से अधिक सत्रों में आयोजित की जाती है, विभिन्न सत्रों में प्राप्त अंकों को परीक्षा के अलग अलग सत्रों के कठिनाई स्तर को समान करने के लिए समायोजित करने पर मामूली अंतर आएगा. एक से अधिक सत्र लिये जाने की आवश्यकता, नोड्स की क्षमता कम होने या केन्द्र पर या किसी उम्मीदवार के लिए कोई तकनीकी व्यवधान आने पर पड़ सकती है.
5. एकल उम्मीदवारों की प्रतिक्रिया (उत्तरों) का विश्लेषण अन्य उम्मीद्वारों के साथ, सही और गलत उत्तर के पैटर्न की समानता का पता लगाने के लिए किया जाएगा। इस संबंध में अपनायी गयी विश्लेषणात्मक प्रक्रिया में यदि यह अनुमान/निष्कर्ष निकाला गया कि उत्तर का आपस में मिलान किया गया है तथा प्राप्तांक प्रामाणिक/वैध नहीं है तो कंपनी के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह संबंधित उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर सकती है और ऐसे उम्मीदवारों का परिणाम रोक रखा जाएगा.
6. चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी चरण में उम्मीदवार द्वारा गलत सूचना प्रदान करने के दृष्टांत सामने आते हैं तो चयन प्रक्रिया में उम्मीदवर को अयोग्य ठहराया जाएगा और भविष्य में उसे एनआयए (न्यू इंडिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड) की किसी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी. यदि वर्तमान चयन प्रक्रिया के दौरान ऐसे दृष्टांतों का पता नहीं चल पाता परंतु बाद में ऐसे दृष्टांत सामने आते हैं तब ऐसी अयोग्यता पहले से ही प्रभावी होगी.
7. ऑनलाइन परीक्षा (प्रथम तथा द्वितीय चरण) एवं साक्षात्कार के लिए तारीख, समय और स्थान में कोई भी बदलाव के लिए आवेदन स्वीकृत नहीं होंगे. ऑनलाइन आवेदन में दिये गए किसी भी अंश में बदलाव के लिए आवेदन नहीं लिए जाएंगे.
8. पद हेतु ऑन लाईन आवेदन करते समय उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह निर्धारित तिथियों तक उपर्युक्त पात्रता को पूर्ण करता हैं और उसके द्वारा दी गई जानकारी सभी मामलों में सही है. यदि भर्ती के किसी चरण में यह पता चल जाता है कि उम्मीदवार पात्रता संबंधी मानदंडों को पूरा नहीं कर पाता और /या उसने गलत / झूठी जानकारी दी है या किन्हीं तथ्यों को छुपाया है तब उसकी उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी. यदि नियुक्ति के बाद भी कमियाँ पायी जाती हैं तो उसको सेवा से निलंबित कर दिया जाएगा.
9. उम्मीदवारों के हित को ध्यान मे रखते हुए उन्हे सूचित किया जाता है कि वे आवेदन की अंतिम तिथि से काफी पहले ही ऑन लाईन आवेदन कर लें (और अंतिम तिथि तक आवेदन करने का इंतजार न करें क्योंकि) अंतिम तिथि वाले दिन इंटरनेट पर लोड बढ़ने के कारण वेबसाइट पर लॉग-इन करने में असमर्थता/ विफलता/ डिसक्नेक्शन जैसी समस्याओं से बचा जा सकता है.
10. किसी भी कारणवश यदि उम्मीदवार अपना आवेदन निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा कर पाने में असमर्थ होता है तो कंपनी इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी.
11. उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे स्वयं ऑन लाईन रजिस्टर करें तथा भर्ती प्रक्रिया के दौरान अपना ई-मेल आयडी बरकरार रखें. आवेदन फॉर्म पर उम्मीदवार अपना मोबाईल नंबर कंपनी की एसएमएस सेवा हेतु दें. **कृपया ध्यान रखें कि उल्लेखित मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी भर्ती प्रक्रिया के पूर्ण होने तक सक्रिय रहे.**
12. भर्ती प्रक्रिया से जुड़े सभी घोषणाएँ उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पंजीकृत ईमेल आईडी तथा मोबाइल नंबर पे दिये जाएंगे. यदि पंजीकृत मोबाइल नंबर तथा/या ईमेल आईडी में बदलाव (तकनीकी खराबी अन्यथा कोई और खराबी जो कि कंपनी के नियंत्रण से परे हो) के कारण, उम्मीदवार को कोई संदेश नहीं पहुँच पाता है तो इसके ज़िम्मेदारी कंपनी की नहीं होगी. कृपया नियमित अध्यतन हेतु कंपनी वेबसाइट

www.newindia.co.in के Recruitment खंड एवं अपना पंजीकृत ईमेल अकाउंट नियमित तौर से देखें.

13. उम्मीदवारों का चयन ऑनलाईन परीक्षा व साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा. कंपनी के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह अपने विवेकाधिकार जहॉ कहीं आवश्यक हो कोई केंद्र जोड़, हटा या आबंटित कर सकती है.

14. **ऑनलाइन परीक्षा में उम्मीदवार का दाखिला अस्थायी तौर पर होगा और यह उम्मीदवार की आयु/अर्हता/श्रेणी (अ.ज./ अ.ज.जा/ अ.पि.व/ पीडब्लूबीडी/ ईडबल्यूएस/ एक्सएस) से संबंधित दस्तावेजों की जांच के बिना होगा.**

15. किसी भी उम्मीदवार द्वारा एक से अधिक आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे. एक से अधिक आवेदनों कि स्थिति में, उस आवेदक के आखिरी आवेदन को माना जाएगा तथा अन्य सभी आवेदनों को रद्द करते हुये, आवेदन शुल्क/ सूचना शुल्क, जब्त कर लिया जाएगा. ऑनलाइन परीक्षा एवं साक्षात्कार में एक से अधिक उपस्थिती पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी. पंजीकृत ऑनलाइन आवेदन को वापिस नहीं लिया जा सकता है तथा आवेदन शुल्क/ सूचना शुल्क नहीं लौटाया जा सकता है. यह शुल्क किसिस और आवेदन के लिए रिजर्व नहीं रखा जा सकता है.

16. साक्षात्कार के लिए बुलाये गये उम्मीद्वारों को साक्षात्कार के समय आयु/ अर्हता/ श्रेणी आदि से संबंधित दस्तावेज जमा करने होंगे. वे उम्मीद्वार जो (अ.जा./अ.ज.जा/अ.पि.व.) के तहत आरक्षण पाना चाहते है वे निर्धारित प्रारुप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र, जाति वैधता प्रमाणपत्र (जहां भी वैध हो) के साथ जमा करें और उक्त जाति प्रमाणपत्र में उस नियम/आदेश का भी उल्लेख होना चाहिए जिसके तहत उम्मीदवार की जाति को (अ.ज./अ.ज.जा/अ.पि.व) घोषित किया गया हो और उम्मीदवार उस गांव व /कस्बे का निवासी है इसका भी स्पष्ट रुप से उल्लेख होना चाहिए.

17. किसी भी चरण में जाति प्रमाणपत्र में किसी भी प्रकार का झूठ पाया गया तो उम्मीदवारी स्वत: ही **रद्द हो जाएगी.**

18. उम्मीदवार जो कि सरकारी /अर्ध सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जिसमें राष्ट्रीयकृत बैंक व वितीय संस्थाएं भी सम्मिलित हैं, में कार्यरत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र साक्षात्कार के समय जमा करना होगा. ऐसा न कर पाने पर उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा और यदि कोई यात्रा भत्ता देय है तो वह भी नहीं अदा किया जाएगा. **चयन किये गए उम्मीदवार को कंपनी में कार्यारंभ के समय अपने नियोक्ता (सरकारी /अर्ध सरकारी /सार्वजनिक/ निजी क्षेत्र के उपक्रम) द्वारा जारी सेवामुक्त पत्र /कार्य मुक्त पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसके बिना उम्मीदवार को कंपनी में कार्यारंभ नहीं करने दिया जाएगा.**

19. उम्मीदवार को अपने ही खर्च पर परीक्षा में उपस्थित रहना होगा. साक्षात्कार हेतु बुलाए गए उम्मीदवारों द्वारा प्रवास का सबूत(रेल/बस की टिकिट/रसीद) प्रस्तुत करने पर उन्हें स्लीपर क्लास का जाने व आने का न्यूनतम दूरी का रेल/बस किराया दिया जाएगा.

20. उम्मीदवार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि उनके द्वारा कॉल लेटर, अट्टेंडेंस शीट, कंपनी से किए गए पत्र व्यवहार इत्यादि में संलग्न हर हस्ताक्षर, बिना किसी विविधताओं के, पूर्ण रूप से मेल खाना चाहिए. बड़े अक्षरों में हस्ताक्षर स्वीकार्य नहीं है.

21. अगर परीक्षा या नियुक्ति प्रक्रिया के बाद कि चरणों में, विश्लेषण के बाद, उम्मीदवार की लिखाई में हस्तलिखित घोषणा से अंतर पाया जाता है, तब उस स्थिति में उनकी उम्मीदवारी स्थगित कर दी जाएगी.

22. उम्मीदवार द्वारा हाल ही का, पहचान्ने योग्य फोटो (4.5cm × 3.5cm) ऑनलाइनआवेदन के लिए अपलोड किया जाना है. उम्मीदवार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इसी फोटो कि प्रतिलिपियाँ, पूरे प्रकरण के दौरान उनके पास सुरक्शित हो. उम्मीदवार द्वार यह भी ख्याल रखा जाना चाहिए कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान वह अपनी रूप में किसी तरह का बदलाव न करें. उम्मीदवार द्वारा वही फोटो प्रकट करने कि अक्षमता, उनकी उम्मीदवारी खंडन करा सकती है.

23. उम्मीदवारों द्वारा आवश्यक रॉप से अनुरोध है कि वह परीक्षा में सामाजिक दूरी पद्धति के सभी निर्देशों का पालन करें. किसी भी प्रकार के उल्लंघन के कारण उम्मीदवारी रद्द कि जा सकती है.

24. चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति उनके चिकित्सकीय रुप से स्वस्थ्य पाये जाने के अधीन होगी. जोंकि कंपनी की एक आवश्यकता है. ऐसी नियुक्ति कंपनी की सेवाओं और आचरण नियमों के अधीन होगी.

25. पात्रता, ऑनलाइन परीक्षा का संचालन, अन्य टेस्ट, साक्षात्कार तथा चयन के मामले में कंपनी के सारे निर्णय अंतिम तथा बाध्य होंगे. इस संदर्भ में कसी भी प्रकार कि प्रस्तुति नहीं ली जाएगी

26. कंपनी किसी भी उम्मीदवार को उनके पाँच साल कि प्रारम्भिक तैनाती कि अवधि के पूर्ण न होने पर भी, उनका भारत में कहीं भी स्थानांतरण करने का अधिकार रखती है.

27. किसी विधि दावे की प्रक्रिया में विज्ञापन के संदर्भ मे उठे विवाद और/ या उसके संबंध मे आवेदन केवल मुंबई के न्यायालय/ न्यायाधिकार/ अदालत में ही किया जा सकता है.

28. चयनित उम्मीदवार कंपनी के प्रचालित सेवा नियमो की शर्तों और प्रतिबंधों द्वारा शासित होंगे.

29. परीक्षा / साक्षात्कार में प्रवेश अस्थायी है. उम्मीदवार को जारी बुलावा पत्र से यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि कंपनी ने उम्मीदवारी को अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया है.

30. निम्न वस्तु परीक्षास्थल के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है:

    a) लेखगन सामाग्री जैसे कि शाब्दिक सामाग्री (मुद्रित या लिखित), कागज़ के टुकड़े, ज्यामिति/ पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच , कैलक्यूलेटर, स्केल, राइटिंग पेड, पेन ड्राइव, लॉग टेबल, एलेक्ट्रॉनिक पेन/स्कैनर.
    b) कोई भी संचार उपकरण,
    c) अन्य समान जैसे कि गागल्ज़, हेंडबेग, हेयर पिन, हेयर बैंड, बेल्ट, कैप इत्यादि.
    d) सभी आभूषण
    e) कोई भी घड़ी, कैमराकोई भी धातु वस्तु
    f) कोई भी खाने का सामान, बैंड या खुला.
    g) कोई भी ऐसी अनुचित साधन के वस्तु

31. कंपनी के पास यह अधिकार सुरक्षित हैं कि वह उपर्युक्त भर्ती प्रक्रिया को किसी भी समय बिना किसी कारण बताए रद्द कर सकती है.

32. भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में दी गयी सूचना गलत पाये जाने पर अथवा प्रक्रिया का उल्लंघन करने पर उम्मीदवार को चयन प्रक्रिया से निलंबित कर दिया जाएगा तथा उसे भविष्य की चयन प्रक्रियाओं के लिए अपात्र घोषित कर दिया जाएगा. ये कमियाँ, वर्तमान चयन प्रक्रिया में न उजागर हो कर यदि भविष्य में ज्ञात हो, तो उम्मीदवार का निलंबन, पूर्व-प्रभावी होगा.

किसी भी प्रकार की विसंगति के मामले में हमारे वेबसाईट http://newindia.co.in में भर्ती खंड में प्रकाशित विस्तृत विज्ञापन का अंग्रेज़ी रूपांतर अंतिम माना जाएगा. उम्मीदवारों को परामर्श दिया जाता है कि वे ऑनलाईन आवेदन तथा भर्ती प्रक्रिया के आगामी अद्यतनों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाईट के भर्ती खंड पर संपर्क करें.

किसी भी प्रकार से की गई याचना को अयोग्य माना जाएगा.

उप महा-प्रबंधक
कॉर्पोरेट एचआरएम

मुंबई
24.08.2021

नोट : किसी भी प्रकार की कानूनी विवेचना के लिए अंग्रेजी रुपांतर मान्य होगा.